अध्याय 5

'झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर लेखापरीक्षा

अध्याय 5

ऊर्जा विभाग

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)

जेबीवीएनएल में सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण पर लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

एक कुशल बिजली वितरण नेटवर्क के रखरखाव में सामग्री महत्वपूर्ण आगत के रूप में सम्मिलित रहता है, और, इस तरह, सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण किसी भी बिजली वितरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण की लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने के लिए किया गया था: (i) क्या सामग्री की क्रय की योजना बनाने और उसे निष्पादित करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली मौजूद थी (ii) क्रय प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी की जा रही थी (iii) कंपनी का वस्तु-सूची नियंत्रण-तंत्र वैज्ञानिक और प्रभावी था (iv) वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था और (v) अप्रचलित भंडार का समय पर निपटान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल किया और प्रमुख वस्तुओं की क्रय पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें भंडार मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत और मौजूदा वस्तु-सूची नियंत्रण-प्रणाली शामिल थी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, दायरे और कार्यप्रणाली को समझाया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के साथ चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने वार्षिक बजट तैयार करने में कार्य एवं क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसे मार्च 2017 में अपनाया गया था, जिसके कारण कोष कम निर्गत और कम उपयोग हुआ। इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्य भी समय पर प्रारंभ नहीं हो पाए। कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर निविदाएं तय करने, प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बोली अवधि की अनुमति देने और निविदा आमंत्रित सूचना (नि.अ.सू.) में एक समान गारंटी कंडिका शामिल करने में का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया। राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से सामग्री की क्रय के संबंध में झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी), जो ऊर्जा कुशल नहीं होने

और निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने के बावजूद क्रय और स्थापित किए गए। मीटर के सहायक उपकरण नामांकन के आधार पर क्रय गए थे और आपूर्तित मात्रा और इनकी स्थापना की स्थिति की पुष्टि किए बिना विक्रेताओं को भुगतान किया गया था। सिस्टम मीटर पूर्व स्थल सत्यापन के बिना प्राप्त किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक समय तक उनका उपयोग नहीं किया जा सका। एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (एसीएसआर) कंडक्टर और प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पोल का क्रय गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण किए बिना किया गया था।

कंपनी एक सुविकसित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से वास्तविक समय में सामग्री प्रबंधन सुनिश्चित करने में विफल रही और दूरभाष पर भंडार की स्थिति की निगरानी कर रही थी। भंडारों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त मानवबल नियुक्त नहीं थे, इसलिए भंडार खातों का उचित रखरखाव नहीं किया जा सका। केंद्रीय भंडारों द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं को सुनिश्चित किये बिना सामग्री जारी की गई थी, जिसमें सामग्री के दुरुपयोग का जोखिम था। भंडार/स्क्रैप का समय-समय पर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके कारण केंद्रीय भंडार में सामग्री और स्क्रैप लंबे समय तक बेकार पड़े रहे।

कंपनी आवश्यक सामग्री को समय पर प्राप्त करने या निर्गत किये गए सामग्री का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रही, परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण नहीं हुआ। विभागीय कार्य प्रारंभ करने में भी विलम्ब हुआ जिसके कारण अधिप्राप्त सामग्री का उपयोग नहीं हो सका। घटिया सामग्री प्रबंधन के कारण ₹ 29.99 करोड़ मूल्य की सामग्री एक निजी ठेकेदार के कब्जे में थी जिसका अनुबंध पहले ही समाप्त कर दिया गया था। फील्ड अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी सामग्री को कंपनी के भंडार में स्थानांतरित न करने हेतु, 16 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार कंपनी का सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण अपेक्षित स्तर का नहीं था और इसमें सर्वांगीण सुधार की आवश्यकता थी।

अनुशंसाएँ

1. *कंपनी को बजट तैयार करने के लिए तय समय-सीमा का अनुपालन करना चाहिए और निधि का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।*
2. *का. एवं क्र. नियमावली, झा.क्र.नी. और निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्रय किया जाना चाहिए।*

3. सामग्री प्रबंधन के लिए एमआईएस स्थापित किया जाना चाहिए और भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

4. कंपनी का निजी ठेकेदारों या फील्ड अधिकारियों के पास पड़ी अप्रयुक्त सामग्री की जल्द वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

विभाग ने सामग्री प्रबंधन, निविदा प्रक्रिया और अन्य मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की सराहना की (मई 2022) और कहा कि यह जेबीवीएनएल को निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी लेनदेन बनाए रखने में मदद करेगा। जेबीवीएनएल ने यह भी आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को पालन करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

5.1 परिचय

निरंतर आर्थिक वृध्दि और समग्र विकास के लिए बिजली की नियमित और निर्बाध उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। विद्युत क्षेत्र में तीन प्रमुख खंड शामिल हैं उत्पादन, संचरण और वितरण। वितरण को सबसे महत्वपूर्ण खंड माना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र की राजस्व स्त्रोत में योगदान देता है और अंतिम उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। वितरण कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं को बिजली की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक कुशल बिजली वितरण नेटवर्क के रखरखाव में सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण आगत सम्मिलित रहता है और सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण में मितव्ययिता, कुशलता और प्रभावशीलता किसी भी वितरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

झारखण्ड में बिजली वितरण नेटवर्क का प्रबंधन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जाता है, जो एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे 23 अक्टूबर 2013 को निगमित किया गया था। कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के पास निहित है।

कंपनी के केंद्रीय भंडार में 1 अप्रैल 2017 को शुरुआती भंडार ₹ 1,264.68 करोड़ था। इसने, लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित की गई अवधि के दौरान, यानी 2017-18 से 2020-21 तक, ₹ 2,522.08 करोड़ का भंडार प्राप्त किया और ₹ 3,602.61 करोड़ का भंडार जारी किया। जिसमें 31 मार्च 2021 तक ₹ 184.15 करोड़ का अंतिम भंडार शेष रहा। कंपनी अपने भंडार को दो लेखा शीर्ष में संधारित करती है जैसे पूँजीगत संचालन और रखरखाव (अनु. एवं परि.)। वित्तीय वर्ष 2017-18 से

2020-21 के दौरान, कंपनी ने सामग्री की क्रय के लिए पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 846.55 करोड़ के क्रय आदेश केंद्रीय रूप से निर्गत किये थे, जिनमें से ₹ 654.05 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.1)*** प्रमुख सामग्रियों के लिए था, जैसे: (i) ट्रांसफार्मर (ii) केबल और कंडक्टर (iii) बिजली के खंभे और (iv) मीटर। शेष 192.50 करोड़ रुपये का उपयोग अन्य सामग्री, जैसे जीआई तार, स्टे सेट, वितरण बॉक्स, निर्माण सामग्री, डिस्क इंसुलेटर आदि की क्रय के लिए किया गया था।

5.2 संगठनात्मक संरचना

कंपनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित होता है, जिसमें चार निदेशक शामिल हैं। कंपनी मुख्यालय, राँची में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) को कार्यकारी निदेशकों (ईडी), महाप्रबंधकों (जीएम), उपमहाप्रबंधकों (डीजीएम) और वरिष्ठ प्रबंधकों (एसएम) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.2*** में दर्शाया गया है। फील्ड स्तर पर सात विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (ईएसए) हैं, जिनके प्रमुख महाप्रबंधक हैं; 15 इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किल (ईएससी) हैं जिनके प्रमुख उपमहाप्रबंधक (डीजीएम) हैं; और 44 विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ईएसडी) हैं जिनके प्रमुख एसएम हैं। प्रत्येक ईएससी में एक केन्द्रीय भंडार और एक ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप (टीआरडब्ल्यू) है। इसके अलावा ईएसडी को उप-प्रमंडल और अनुभागों में विभाजित किया जाता है, जिनके प्रमुख क्रमशः प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक होते हैं। प्रबंधकों एवं कनिष्ठ प्रबंधकों को उनके द्वारा दिये गये माँग-पत्र के आधार पर केंद्रीय भंडार से सामग्री जारी की जाती है।

5.3 सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण कार्य

सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण कंपनी के भंडार और क्रय (एसएंडपी) विंग की जिम्मेदारी है, जिसके प्रमुख जीएम (एसएंडपी) हैं। जीएम आपूर्ति और वितरण (एसएंडडी), ईएसए द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न विद्युतीकरण योजनाओं के लिए सामग्री के मूल्यांकन के आधार पर सामग्री बजट तैयार करता है। ईएसए के जीएम सामग्री के उपयोग की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं। कंपनी के स्वयं के कार्यों के मामले में और ईएससी द्वारा प्रतिभूति कार्यों के मामले में, अर्थात अन्य एजेंसियों के लिए निष्पादित कार्यों के मामले में प्रमुख सामग्री मुख्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से खरीदी जाती है। क्रय आदेश (पीओ) के बाद, विभिन्न केंद्रीय भंडारों में सामग्री के आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को प्रेषण निर्देश (डीआई) जारी किए जाते हैं। महाप्रबंधक (एसएंडपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय भंडार वस्तु-सूची का रखरखाव करते हैं। सामग्री प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं को दर्शाने वाला एक **चार्ट 5.1** नीचे दिया गया है:

चार्ट: 5.1

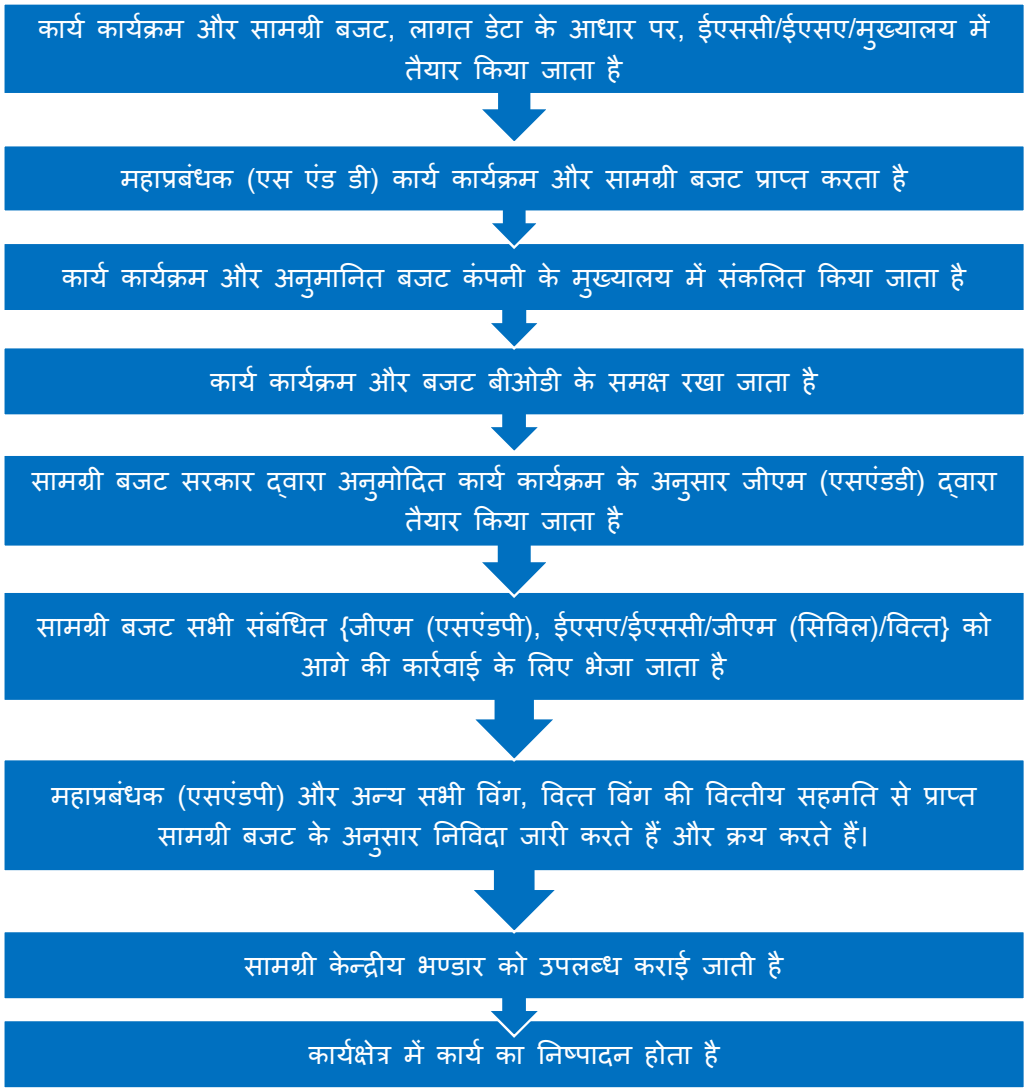

5.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए जेबीवीएनएल में सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा दिसंबर 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच किया गया जिसमें सामग्री की क्रय, भंडारण, उपयोग और प्रबंधन पर लागू नियमों और विनियमों के साथ कंपनी के अनुपालन का आकलन किया जा सके। लेखापरीक्षा ने सामग्री की प्रमुख वस्तुओं[1] के क्रय जो कि भंडार मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत था और वस्तु-सूची नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता शामिल थी पर ध्यान केंद्रित किया। लेखापरीक्षा के दौरान, महाप्रबंधक

[1] *ट्रांसफार्मर, केबल और कंडक्टर, पोल और मीटर*

(एसएंडपी), महाप्रबंधक (एसएंडडी), महाप्रबंधक (आर-एपीडीआरपी)[2] और 15 में से सात[3] ईएससी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और सूचनाओं की नमूना-जाँच की गई।

प्रवेश सम्मेलन (09 फरवरी 2021) में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, दायरे और कार्यप्रणाली को समझाया गया और प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ आयोजित निकास सम्मेलन (02 जून 2022) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को उचित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

5.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि:

- सामग्री के क्रय की योजना बनाने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली मौजूद थी और इसका पालन किया जा रहा था;
- नियमों और विनियमों के अनुपालन के साथ क्रय, मितव्ययिता, कुशलता और प्रभावी तरीके से की गई थी;
- क्रय अनुबंधों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के नियमों और शर्तों के पालन की निगरानी पर्याप्त और प्रभावी थी; और
- कंपनी का वस्तु-सूची नियंत्रण तंत्र वैज्ञानिक और प्रभावी था, वस्तु-सूची के भौतिक सत्यापन के लिए सिस्टम पर्याप्त था और अप्रचलित भंडार का समय पर निपटान किया गया था।

5.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- झारखण्ड क्रय नीति, 2014
- मार्च 2017 में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली, कंपनी के लेखा और वित्त-संहिता और उसके तहत जारी आदेश/परिपत्र

---

[2] *आर-एपीडीआरपी: पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम*

[3] *ईएससी के साथ केन्द्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू: चास, चाईबासा, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, राँची और साहिबगंज।*

- बजट, कंपनी की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, एजेंडा और सामग्री की क्रय में शामिल समितियों के कार्यवृत्त
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश
- नि.आ.सू. के नियम और शर्तें, समझौते, और क्रय आदेश, एवम
- प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंपनी के अन्य संबंधित अभिलेख।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.7 आवश्यकता के आकलन में अनियमितताएं

5.7.1 कार्य योजना और सामग्री बजट

कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली, जो अप्रैल 2017 से प्रभावी था, अगले वित्त वर्ष के लिए आवश्यक सामग्री के लिए चालू वित्त वर्ष में क्रय गतिविधियों की शुरुआत की परिकल्पना करता था। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत खपत और अगले वर्ष के लिए अतिरिक्त अनुमानित जरूरतों के आधार पर अगले वित्त वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता को अगस्त के महीने में अंतिम रूप दिया जाना था। इसके अलावा, एसएंडपी विंग को क्षेत्र के अधिकारी की मदद से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सामग्री-वार अंतिम आवश्यकताओं के आकलन को पूरा करना था। अगस्त के अंतिम सप्ताह में, एस एंड पी विंग, वित्त और लेखा (एफ एंड ए) विंग के साथ मिलकर, बजटीय आवंटन को अंतिम रूप देना था, और क्रय प्राधिकरण को बीओडी द्वारा बजट के अनुमोदन के बाद क्रय प्रक्रिया को शुरू कर देना था। क्रय के लिए निविदाएं चरणबद्ध तरीके से जारी की जानी थीं, मदवार प्राथमिकता, आपूर्ति के लिए आवश्यक समय-सीमा और क्षेत्र में उपयोग के लिए सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए किया जाना था।

माँग के अनुसार विद्युत वितरण प्रणाली के उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी प्रत्येक वर्ष विभागीय रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए एक वार्षिक विकास कार्यक्रम (एडीपी) तैयार करती है। एडीपी के तहत कार्यों के लिए सामग्री की आवश्यकता क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त सामग्री की आवश्यकता के आधार पर की जाती है और वर्ष के दौरान क्रय के लिए सामग्री बजट में शामिल की जाती है। एडीपी के तहत प्रस्तावित व्यय झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से पूरा किया जाता है। एडीपी के तहत वार्षिक बजट और बीओडी द्वारा उनके अनुमोदन का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है:

तालिका 5.1: एडीपी के तहत वार्षिक बजट का विवरण और उनका अनुमोदन

वित्तीय वर्ष	वह माह जब क्षेत्र कार्यालयों से बजट प्रस्ताव मंगाए गए थे	बजट तैयार करने में देरी	बीओडी के समक्ष बजट रखने और बीओडी द्वारा इसकी मंजूरी का महीना	स्वीकृत बजट की राशि (₹ करोड़ में)	प्राप्त धनराशि (₹ करोड़ में)	निधि का उपयोग (₹ करोड़ में)
2017-18	अप्रैल 2017	8 महीने	नवम्बर 2017	431.64	431.64	245.53
2018-19	फ़रवरी 2018	6 महीने	सितम्बर 2018	670.00	91.72	215.81
2019-20	अक्टूबर 2018	2 महीने	प्रस्तुत नहीं किया	0.00	0.00	127.92
2020-21	अप्रैल 2020	8 महीने	नवम्बर 2020	290.00	290.00	71.48
कुल				**1,391.64**	**813.36**	**660.74**

स्रोत: *कंपनी द्वारा दी गई जानकारी*

- **तालिका 5.1** से यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने पिछले वर्ष के अगस्त के महीने से दो से आठ महीने के बीच की देरी से बजट तैयार करना शुरू किया, जिसके कारण बीओडी द्वारा बजट के अनुमोदन में देरी हुई। इन विलम्बों के कारण अंतत: निधियों को निर्गत करने और उनके उपयोग में कमी आई।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 670 करोड़ के स्वीकृत वार्षिक बजट को पुनर्विनियोजन किया गया जिसमें ₹ 301.65 करोड़ के स्वीकृत कार्यों को हटाकर, इनके स्थान पर उसी राशि के नए कार्यों को सम्मिलित किया गया। पुनर्विनियोजित बजट को तीन बार अगस्त 2019 से अगस्त 2020 के बीच बीओडी के समक्ष रखा गया था, लेकिन बीओडी ने सितंबर 2022 तक बिना कोई कारण बताए अपनी मंजूरी टाल दी थी।

- यह देखा गया कि, यद्यपि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 600 करोड़ का एक अस्थायी बजट तैयार किया था लेकिन उसे अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण बजट में प्रस्तावित कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका। वर्ष के दौरान केवल पिछले वर्षों के शेष कार्यों को ही निष्पादित किया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2022) कि बजट तैयार करने में देरी का मुख्य कारण फील्ड और मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एडीपी बजट जमा नहीं करने के संबंध में यह कहा गया कि इसे इसलिए प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत एडीपी बजट ₹ 670 करोड़ के मुकाबले केवल ₹ 91.72 करोड़ जारी किए थे और इस कारण बजट में प्रस्तावित कार्य को नहीं किया जा सका। तथ्य, यही रहा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, जेबीवीएनएल उन कार्यों को प्रभावी रूप से

कार्यान्वित नहीं कर सका जो राज्य में विद्युत वितरण के लिए सृजित परिसम्पत्तियों का ससमय उन्नयन कर सकते थे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा 1: कंपनी को वार्षिक बजट का ससमय निर्माण और अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए।

5.7.2 वस्तु-सूची की स्थिति

कंपनी के लेखाओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान वस्तु-सूची की स्थिति **तालिका 5.2** में वर्णित थी।

तालिका 5.2: 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए कंपनी की वस्तु-सूची की स्थिति।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मद	आरंभिक भंडार	वर्ष के दौरान प्राप्त भंडार	वर्ष के दौरान जारी भंडार	वर्ष के दौरान समायोजित भंडार	भंडार का जमा शेष	वर्ष के लिए औसत भंडार	वर्ष के दौरान औसत वस्तु-सूची (महीनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8={(3+7)/2}	9={(8/5)x12 महीना}
2017-18	पूँजीगत	1,273.66	1,091.19	706.67	-	1,658.19	1,465.93	24.89
	ओएंडएम	(-) 8.98	60.65	23.43	-	28.25	9.64	4.93
2018-19	पूँजीगत	1,658.19	908.12	1,617.21	(-) 695.36	253.74	955.96	7.09
	ओएंडएम	28.25	14.90	34.31	-	8.84	18.54	6.49
2019-20	पूँजीगत	253.74	296.05	307.64	(-) 36.30	205.84	229.79	8.96
	ओएंडएम	8.84	31.06	12.70	-	27.21	18.03	17.04
2020-21	पूँजीगत	205.84	99.37	145.88		159.33	182.59	15.02
	ओएंडएम	27.21	20.74	23.12		24.82	26.02	13.50

स्रोत: *कंपनी द्वारा दी गई जानकारी*

तालिका 5.2 से यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2020-21 के दौरान पूँजीगत भंडार के लिए और 2019-20 और 2020-21 के दौरान ओ एंड एम भंडार के लिए आवश्यकताओं से 12 महीने से अधिक की वस्तु-सूची बनाए रखी थी, भले ही इसे एडीपी के आधार पर वार्षिक सामग्री क्रय करना था। अतिरिक्त वस्तु-सूची रखने से न केवल धन अवरुद्ध होता है, बल्कि समय बीतने के कारण सामग्री के अप्रचलित होने का जोखिम भी होता है।

विभाग ने बताया (मई 2022) कि वर्ष के दौरान वस्तु-सूची का औसत जैसा कि तालिका में वर्णित है वह संचयी आँकड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि व्यापक रूप से फैले विद्युत नेटवर्क को बनाए रखने और नए क्षेत्रों में विद्युतीकरण को कवर करने के लिए विभिन्न सामग्रियों की न्यूनतम वस्तु-सूची नियमित रूप से आवश्यक है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कंपनी ने चार वर्षों में से तीन में 12 महीने से अधिक की वस्तु-सूची बनाए रखी थी, हालाँकि, का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार सामग्रियों का क्रय क्षेत्र में उपयोग के लिए सामग्री की आवश्यकता के अनुसार मदवार प्राथमिकता और समय अवधि को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से वर्ष में तीन बार (जून, सितंबर और दिसंबर) करनी थी।

5.8 सामग्री के क्रय में अनियमितताएं

5.8.1 निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं

(i) निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सामग्री की क्रय के लिए निविदाओं को नि.आ.सू. जारी करने की तिथि से तीन महीने (90 दिन) के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, कंपनी ने प्रमुख सामग्रियों की क्रय के लिए 59 नि.आ.सू. के विरुद्ध 250 क्रय आदेश (क्र.आ.) निर्गत किए। निविदा फाइलों की जाँच में, निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी, बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए कम बोली अवधि देना, छोटी या आपातकालीन निविदाओं का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन, निविदाओं का अनुचित तकनीकी मूल्यांकन और विभिन्न नि.आ.सू. में गारंटी अवधि उपवाक्य में बदलाव का पता चला, जैसा कि नीचे में चर्चा की गई है:

• 57 नि.आ.सू.[4] में से केवल 10 को निर्धारित 90 दिनों के अन्दर अंतिम रूप दिया गया था। शेष 47 नि.आ.सू. में 10 से 230 दिनों का विलम्ब था जो निर्धारित 90 दिनों से अधिक था। इन 47 नि.आ.सू. में 24 ऐसे नि.आ.सू. शामिल थे जहाँ देरी 100 दिनों से अधिक थी। जिन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जानी थीं, उनकी तकनीकी क्षमताओं के मूल्यांकन में तकनीकी मूल्यांकन समिति (त.मू.स.) ने भी 80 दिन तक का समय लगा दिया। इन विलम्बों के कारण सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब हुआ।

• 57 नि.आ.सू. में से 23 लघु और आपातकालीन निविदाएं[5] थीं। हालाँकि, 23 में से 17 निविदाओं को निर्धारित 90 दिनों के बाद अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें

---

[4] *नि.आ.सू. संख्या 303/पीआर/जेबीवीएनएल/2019-20 और 604/पीआर/जेबीवीएनएल/2015-16 से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।*

[5] *सामग्री की तत्काल क्रय के लिए 'लघु और आपातकालीन निविदाएं' आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें 28 दिनों की न्यूनतम निर्धारित बोली अवधि के बजाय क्रमशः सात और 14 दिनों की बोली जमा करने की अनुमति दी जाती है।*

21 से 230 दिनों का विलम्ब था। इस प्रकार, लघु या आपातकालीन निविदाएँ मँगाना न्यायोचित नहीं था।

- खुली निविदाओं के मामले में बोलियां जमा करने के लिए का. एवं क्र. नियमावली 28 दिनों की न्यूनतम बोली अवधि निर्धारित करती है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 34 खुली निविदाओं में केवल 14 से 26 दिनों की ही बोली अवधि की अनुमति दी गई थी।

- ट्रांसफॉर्मर क्रय हेतु, का. एवं क्र. नियमावली चालू करने की तारीख से 54 महीने या निर्माताओं द्वारा प्रेषण की तारीख से 60 महीने की गारंटी अवधि, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है। हालाँकि, ऐसे 22 नि.आ.सू. में से केवल चार में निर्धारित गारंटी अवधि को शामिल किया गया था। जबकि, 9 नि.आ.सू. में आवश्यक गारंटी अवधि निर्माता द्वारा चालू होने की तारीख से 24 महीने और प्रेषण की तारीख से 30 महीने तक सीमित थी। शेष नौ नि.आ.सू. में आवश्यक गारंटी अवधि प्रेषण की तारीख से 36 महीने तक सीमित कर दी गई थी और चालू करने के बाद की गारंटी अवधि को हटा दिया गया था। का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्धारित गारंटी अवधि को कम करना या किसी विशेष गारंटी उपवाक्य में छूट देना, बोली लगाने वालों को अनुचित लाभ देने का संकेत था।

इस प्रकार, कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर निविदाएँ तय करने में, छोटी या आपातकालीन निविदाएँ आमंत्रित करने में, पर्याप्त बोली अवधि की अनुमति देने में का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसमें एक समान गारंटी उपवाक्य भी सम्मिलित था।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी मानवबल की कमी के कारण हुई थी। आगे यह कहा गया कि आमतौर पर बोलियां जमा करने के लिए 21 दिन दिए जाते हैं, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त है और का. एवं क्र. नियमावली की भावना के अनुरूप है। गारंटी उपवाक्य के संबंध में, महाप्रबंधक (एसएंडपी) द्वारा यह कहा गया (जनवरी 2022) कि हाल के नि.आ.सू. में इस प्रावधान का पालन किया जा रहा है।

मानवबल की कमी के कारण निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि एस एंड पी विंग के पास इसकी स्वीकृत संख्या की तुलना में पर्याप्त मानवबल[6] थी। छोटी और आपातकालीन निविदाओं को अंतिम

---

[6] *मार्च 2019 से मार्च 2021 की अवधि में 09 स्वीकृत मानवबल संख्या की तुलना में 11 मानवबल*

रूप देने में देरी ने आकस्मिक क्रय के उद्देश्य को भी विफल कर दिया और उचित प्रतिस्पर्धा से समझौता किया। इसके अलावा, यह तर्क कि आमतौर पर 21 दिनों की बोली अवधि की अनुमति दी गई थी जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त थी और का. एवं क्र. नियमावली की भावना से मेल खाती थी, नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है, जो खुली निविदाओं में 28 दिनों की न्यूनतम बोली अवधि निर्धारित करती है। इसके अलावा 34 में से 14 खुली निविदाओं में 14 से 20 दिनों के बीच की बोली अवधि की भी अनुमति दी गई थी।

(ii) झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.), 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई क्रय

झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.) के कंडिका 8.1 के अनुसार प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पोल और एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (एसीएसआर) कंडक्टर, केवल झारखण्ड में स्थित[7] सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से क्रय किए जाने थे। इसके अलावा, झा.क्र.नी. के कंडिका 4 (डी) के अनुसार (जुलाई 2019 में शामिल किया गया), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर विशेष सूची में उल्लिखित वस्तुओं का क्रय स्थानीय एमएसई आपूर्तिकर्ताओं से करना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक ₹ 129.54 करोड़ की लागत से 2,16,883 पीएससी पोल और 14,820.35 किमी एसीएसआर कंडक्टर क्रय किए थे। इनमें से 17,500 पीएससी पोल और 6,107.62 किमी एसीएसआर कंडक्टर, जिसकी कीमत ₹ 30.49 थी करोड़, 17 क्रय आदेशों (क्र.आ.) के माध्यम से बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से क्रय गए थे, जिनके कॉर्पोरेट या प्रधान कार्यालय झारखण्ड में स्थित नहीं थे। इसके अलावा कंपनी ने खुली निविदा से जुलाई 2019 के बाद ₹ 29.29 करोड़ रुपये की लागत से 44,295 पोल और 2,521 किमी कंडक्टर की क्रय की जो विशेष सूची में भी शामिल थी और जीईएम पोर्टल पर भी उपलब्ध थी।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि पीएससी पोल के एक विक्रेता (मैसर्स प्रिसिजन प्री-स्ट्रेस यूनिट) को जीओजे द्वारा एमएसई के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसलिए यह झा.क्र.नी. 2014 की परिभाषा के तहत एक राज्य एमएसई था। विभाग ने आगे कहा कि काम के समय पर निष्पादन के व्यापक हित में और झारखण्ड की एमएसई इकाइयों की क्षमता और सहमति को देखते हुए, अन्य

---

[7] *झा.क्र.नी. के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी पंजीकृत इकाइयों/उद्यम जिनका प्रधान या कॉरपोरेट कार्यालय झारखण्ड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए।*

बोलीदाताओं पर विचार करना आवश्यक हो गया, भले ही उक्त मदें झा.क्र.नी. की विशेष सूची में शामिल थीं। आगे यह कहा गया कि कंपनी विशिष्ट सूची के तहत केवल राज्य एमएसई से वस्तुओं की किसी भी मात्रा को क्रय करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, जब तक कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित न हो।

एक राज्य एमएसई से पीएससी पोल की क्रय के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि उक्त एमएसई का कॉर्पोरेट कार्यालय जयपुर, राजस्थान में था, जबकि झा.क्र.नी. के अनुसार, वह झारखण्ड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए था। इसके अलावा कंपनी ने न तो राज्य एमएसई की क्षमता का आकलन किया था, न ही समय के भीतर पीएससी पोल की आपूर्ति के संबंध में उनकी सहमति प्राप्त की थी, क्योंकि सभी निविदाएँ बाहरी बोलीदाताओं के लिए भी खुली थीं और सभी निविदाएँ प्राप्त करने के हकदार थे अगर उनकी बोली सबसे कम रहती। जीईएम पोर्टल के माध्यम से क्रय नहीं किए जाने के संबंध में उत्तर मौन था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा 2: पर्याप्त बोली अवधि की अनुमति देने और समय पर अनुबंध तय करने में का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। झा.क्र.नी. के अनुसार सूचीबद्ध सामग्रियों की क्रय में राज्य एमएसई को वरीयता दी जानी चाहिए। सामग्री उपलब्ध होने पर जीईएम पोर्टल के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए।

(iii) नामांकन के आधार पर अनियमित क्रय

कंपनी की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओएफपी) के अनुसार, आपात स्थिति में ईएससी के डीजीएम नामांकन के आधार पर ₹ 50,000 तक की सामग्री की क्रय के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकते थे। आगे, का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देश कंपनी पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होते थे। जुलाई 2007 का सीवीसी आदेश निर्धारित करता है कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया एक बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि नामांकन के आधार पर अनुबंध प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जो समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। सीवीसी परिपत्र (जुलाई 2018) में दोहराया गया था कि पर्याप्त औचित्य के बिना नामांकन के आधार पर क्रय प्रतिबंधित होगा, जो प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और समानता को भी समाप्त करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित सात ईएससी में से छः ने कोटेशन आमंत्रित करके सामग्री क्रय की थी जिसे निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा अंतिम रूप

दिया गया था। यद्यपि, ईएससी जमशेदपुर ने जनवरी 2018 से सितंबर 2020 के बीच 59 क्र.आ. द्वारा ₹ 10.56 करोड़ मूल्य की सामग्री की क्रय वेंडरों से नामांकन के आधार पर की थी। जो कंपनी के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओएफपी) और सीवीसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन था।

उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि कार्य के हितों की रक्षा के लिए नामांकन के आधार पर अधिप्राप्ति की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसी तरह की क्रय अन्य ईएससी द्वारा कोटेशन या निविदाएं आमंत्रित करने के बाद की गई थी।

5.8.2 ट्रांसफार्मर का क्रय

(i) निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले वितरण ट्रांसफार्मर की क्रय

ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.मं.), भारत सरकार ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (दिसंबर 2016) द्वारा, तीन सितारा रेटिंग (ऊर्जा दक्षता स्तर-1) के वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) को इस निर्देश के साथ तकनीकी रूप से व्यवहार्य उपकरण सूची से हटा दिया था कि भविष्य में उसका निर्माण, क्रय, भंडारण या उपयोग नहीं किया जाएगा। ऊ.मं. ने निर्दिष्ट मानक को पूरा नहीं करने वाले ट्रांसफॉर्मर को 30 जून 2017 तक समाप्त मानने के निर्देश भी जारी (फरवरी 2017) किए। इसके अलावा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) ने मानक रेटिंग डीटी की क्रय के लिए एक सलाह जारी की (मार्च 2017) जो आईएस: 1180 (भाग-1, 2014) में निर्दिष्ट चार सितारा (ऊर्जा दक्षता स्तर-2) के हानि के स्तर को पूरा करती थी।

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक जारी किए गए क्र.आ. की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कंपनी के एसएंडपी विंग ने अगस्त 2017 में ₹ 45.30 करोड़ की लागत से तीन स्टार रेटिंग के 4,755 डीटी का केंद्रीय क्रय किया था। एसएंडपी विंग ने अगस्त 2017 के बाद निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले डीटी का क्रय बंद कर दिया था। हालाँकि, नमूना-जाँचित सात ईएससी ने जुलाई 2017 से मार्च 2021 के दौरान निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले 241[8] डीटी (₹ 2.76 करोड़ मूल्य) की क्रय किया था।

इस प्रकार कंपनी ने भारत सरकार और पीएफसीएल के निर्देशों और सलाह के बावजूद अपने वितरण नेटवर्क में ₹ 48.06 करोड़ की लागत के 4,996 डीटी की क्रय

---

[8] *चाईबासा: 17, चास: 30, हजारीबाग: 49, जमशेदपुर: 4, कोडरमा: 18, राँची: 106 और साहिबगंज: 17*

की और 4,739 तीन स्टार रेटिंग डीटी स्थापित किए जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और जो ऊर्जा अक्षम थे।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि चार ईएससी (चास, कोडरमा, चाईबासा और राँची) ने एस एंड पी विंग द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार डीटी की क्रय किया था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि एस एंड पी विंग ने अगस्त 2017 के बाद निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले डीटी की क्रय नहीं किया था। इसके अलावा शेष तीन ईएससी द्वारा ऊर्जा अक्षम डीटी की क्रय पर उत्तर मौन था।

(ii) उच्च ऊर्जा हानि वाले डीटी के क्रय के कारण ऊर्जा की हानि

ऊ.मं., भारत सरकार ने विभिन्न क्षमताओं के डीटी की ऊर्जा हानि के लिए 50 और 100 प्रतिशत भार पर चार सितारा रेटिंग पर मानक अधिसूचित (दिसंबर 2016) जारी किए। निर्धारित मानदंड जनवरी 2017 से लागू किए गए थे और उन्हें का. एवं क्र. नियमावली में भी शामिल किया गया था।

एस एंड पी विंग और चार[9] ईएससी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक जारी किए गए क्र.आ. की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कंपनी ने 50 प्रतिशत भार पर ऊर्जा हानि के साथ 2,849 चार-सितारा रेटिंग डीटी क्रय थे, जो कि निर्धारित मानदंडों की तुलना में अधिक थे। उच्च ऊर्जा नुकसान से ₹ 37.60 करोड़[10] रुपये की लागत से क्रय किये गए 8.60 करोड़ यूनिट ऊर्जा[11] की हानि होगी।

उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई हानि उन नि.आ.सू. से संबंधित है जो का. एवं क्र. नियमावली के प्रचलन से पहले प्रकाशित गई थी और लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित हानि और औसत जीवन प्रत्याशा की गणना एकपक्षीय है। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि का. एवं क्र. नियमावली को अपनाने के बाद नि.आ.सू. को अंतिम रूप दिया गया था, इसके बावजूद ऊर्जा अक्षम डीटी की क्रय की गई थी। इसके अलावा नुकसान की गणना 25 साल की औसत जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने मूल्यह्रास अनुसूची में माना है।

---

[9] *चास, कोडरमा, चाईबासा और राँची में ईएससी।*

[10] *वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 4.37/केडब्लूएच की दर से बिजली क्रय की औसत दर की गणना।*

[11] *सीईआरसी के मानदंडों के अनुसार, दो डीटी के 25 साल के अपेक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत भार पर चलते हैं।*

5.8.3 मीटरों की खरीद

(i) मीटरों की खरीद पर अत्यधिक व्यय

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सीवीसी के दिशा-निर्देश कंपनी पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। सीवीसी दिशा-निर्देश[12] निर्धारित करते हैं कि पूर्व-योग्यता मानदंड के रूप में 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के पिछले 3 वर्षों के दौरान, बोली लगाने वाले का न्यूनतम वार्षिक औसत कारोबार (एमएएटी) निविदा लागत का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो लाख सहायक उपकरण के साथ सिंगल फेज ऊर्जा मीटरों की खरीद के लिए ₹ 50.26 करोड़ की अनुमानित लागत पर निविदा लागत के 30 प्रतिशत के पूर्व-अर्हता वाले एमएएटी मानदंड के साथ एक नि.आ.सू. (अप्रैल 2016) जारी की गई थी। तत्पश्चात् ₹ 732 प्रति मीटर तथा सहायक उपकरण हेतु ₹ 1,367 प्रति मीटर की दर से मीटरों की आपूर्ति के लिए ₹ 41.95 करोड़ का क्रय आदेश जारी किए गए (सितम्बर 2016)।

आगे की जाँच से पता चला कि कंपनी ने झारखण्ड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना (जेएसबीएवाई) के तहत समान मीटरों की खरीद के लिए, सहायक उपकरण के बिना, ₹ 104.95 करोड़ की अनुमानित निविदा लागत के साथ एक नि.आ.सू. जारी (अगस्त 2017) की थी। हालाँकि, गुणवत्ता युक्त उत्पादों की आपूर्ति हेतु स्थापित, प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से मजबूत फर्मों की भागीदारी तक सीमित करते हुए पूर्व-योग्यता एमएएटी मानदंड ₹ 400 करोड़ (निविदा लागत का 381 प्रतिशत) तय किया गया। पाँच बोलीदाताओं[13] ने बोली में भाग लिया और अंतत: बातचीत द्वारा ₹ 905 प्रति मीटर की न्यूनतम दर को स्वीकार किया गया (मई 2018)। शेष चार बोलीदाताओं ने भी (अप्रैल और मई 2018) बातचीत द्वारा तय दर पर मीटर की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि एक फर्म, जिसने पिछली बोली में ₹ 732 प्रत्येक की दर से मीटर की आपूर्ति की थी, ने अधिक एमएएटी मानदंड का मुद्दा उठाया गया किंतु कंपनी ने एमएएटी मानदंड को संशोधित नहीं किया और बातचीत द्वारा तय दर पर सभी पाँच फर्मों को 9,28,071 मीटर की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश (मई 2018 और मार्च 2019) जारी कर दिया|

---

[12] *परिपत्र दिनांक 17.12.2002 द्वारा जारी किया गया।*

[13] *(1) मैसर्स एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (2) मेसर्स जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (3) मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (4) मेसर्स लैंडिस+गीयर लिमिटेड, कोलकाता और (5)) मैसर्स सिक्योर मीटर लिमिटेड।*

जेबीवीएनएल की वित्तीय वर्ष 2017-18 की दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार अप्रैल 2016 के नि.आ.सू. में तय की गई ₹ 732 प्रति मीटर की दर और एकल-फेज मीटर की दर में 1.77 प्रतिशत का वृद्धि कारक को ध्यान में रखते हुए एकल-फेज मीटर की दर ₹ 745 प्रति मीटर परिकलित की गई। अत्यधिक एमएएटी मानदंड के साथ नि.आ.सू. जारी करने के बाद भी कंपनी ने नवंबर 2017 में ₹ 732 प्रति मीटर की दर से सहायक उपकरण के साथ 82,836 मीटर क्रय थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो दर्शाता हो कि अप्रैल 2016 नि.आ.सू. दर पर क्रय गए मीटर खराब पाए गए थे। इस प्रकार, कंपनी ने उच्च दर पर 9,28,071 मीटरों की खरीद पर ₹ 14.85 करोड़[14] का अधिक व्यय किया।

उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2022) कि ₹ 400 करोड़ के एमएएटी को विशेष क्रय समिति द्वारा केवल प्रतिष्ठित निर्माताओं से मीटर खरीदने के लिए अनुमोदित किया गया था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसने आगे कहा कि ₹ 905 प्रत्येक मीटर के मूल्य में अतिरिक्त मुफ्त वस्तुएं (मीटर बॉक्स, मुफ्त मीटर, एमआरआई सॉफ्टवेयर) की लागत भी शामिल है, जबकि ₹ 732 प्रति मीटर लागत में केवल मीटर का मूल्य था और इसलिए दोनों की तुलना करना उचित नहीं।

उच्च एमएएटी के संबंध में उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2016 के नि.आ.सू. के माध्यम से कम दर पर क्रय गए मीटरों के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी, जो कम एमएएटी मानदंड के साथ क्रय किये गए थे। कंपनी ने, उच्च एमएएटी के साथ नई निविदाओं के बिना अप्रैल 2016 के नि.आ.सू. के मीटर की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं से, नवंबर 2017 में (अगस्त 2017 में उच्च एमएएटी के साथ नि.आ.सू. फ्लोटिंग के बाद) ₹ 732 प्रत्येक की दर से 82,836 मीटर का पुनः क्रय आदेश के माध्यम से क्रय किया था। इसके अलावा, अतिरिक्त मुफ्त वस्तुओं की लागत, जैसा कि विभाग द्वारा कहा गया था, एल1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर औचित्य के अनुसार, लगभग ₹ 43 प्रति मीटर था। यदि इस पर भी विचार किया जाए तो भी कंपनी ने ₹ 10.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया था।

(ii) उपभोक्ता मीटर की सहायक उपकरण के क्रय में अनियमितताएं

जेएसबीएवाई के लिए, मुख्यालय से मीटर क्रय किए गए थे, जबकि सहायक उपकरण जैसे सर्विस पाइप, पीवीसी इंसुलेटेड एल्युमीनियम कंडक्टर, सर्विस केबल, मीटर बोर्ड, एमसीबी, सपोर्ट वायर, पियर्सिंग कनेक्टर आदि ईएससी द्वारा क्रय गए थे।

---

[14] *₹ 905 - ₹ 745 = ₹ 160 x 9,28,071 = ₹ 14,84,91,360.*

लेखापरीक्षा ने सात नमूना-जाँचित ईएससी में सहायक उपकरण की क्रय में अनियमितताएँ देखीं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- कंपनी ने सभी ईएससी (फरवरी 2018) को जेएसबीएवाई के अंतर्गत ₹ 2,250 प्रति मीटर की अधिकतम लागत पर सहायक उपकरण खरीदने और मीटर स्थापित करने का निर्देश दिया था। यह पाया गया कि सभी सात नमूना-जाँचित ईएससी ने सहायक उपकरण की आपूर्ति और मीटर की स्थापना के लिए नामांकन के आधार पर कार्य आदेश जारी किए गए, जिसमें ₹ 50.52 करोड़ की राशि के सहायक उपकरण की लागत सम्मिलित थी।

- कार्यादेशों के अनुसार सहायक उपकरण के लिए भुगतान, वास्तविक खपत पर आधारित संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ईएसडी) द्वारा सत्यापित खपत प्रतिवेदन के आधार पर किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सात नमूना-जाँचित ईएससी में से तीन[15] ने ईएसडी से खपत का प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना, कार्य आदेशों के आधार पर ₹ 14.28 करोड़ का भुगतान किया (अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच) था। इस प्रकार, अधिक भुगतान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग (जुलाई 2022) नामांकन के आधार पर क्रय के संबंध में चुप था जबकि उपभोग प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना भुगतान किए जाने के संबंध में यह कहा गया कि इनमें से दो ईएससी (जमशेदपुर के अलावा) ने संबंधित जेईई, एईई और ईईई द्वारा बिल सत्यापन के बाद सहायक उपकरण के लिए भुगतान किया था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भुगतान केवल स्थापित मीटरों की संख्या के सत्यापन के बाद किया गया था न कि विभिन्न वस्तुओं जैसे मीटर बोर्ड, कनेक्शन तार, कनेक्शन पाइप, एमसीबी आदि की खपत के आधार पर।

(iii) सिस्टम मीटर और संबंधित उपकरणों का क्रय

कंपनी ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के 56 टेक-ऑफ बिंदुओं से 600 मेगावाट बिजली प्राप्त करने के लिए फीडरों में स्थापना के लिए ₹ 10.69 करोड़ की लागत से 112 सिस्टम मीटर[16] और संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए काम दिया (अगस्त 2017)| कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार, लागत का 70 प्रतिशत का

---

[15] *ईएससी कोडरमा, हज़ारीबाग एवं जमशेदपुर.*

[16] *मीटरिंग यूनिट के साथ, मीटरिंग पैनल के साथ डेटा कनेक्टर यूनिट (DCU) और मॉडेम आदि पाँच साल के रखरखाव के साथ।*

भुगतान, सामग्री के साथ, मीटर की भंडार प्राप्ति पर और शेष 30 प्रतिशत का भुगतान सभी मीटरों के चालू होने के बाद किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने कार्य आदेश जारी करने से पहले साइट का उचित सर्वेक्षण नहीं किया था और ₹ 2.93 करोड़ मूल्य के मीटर और सामग्री डीवीसी के सब-स्टेशनों में जगह की कमी के कारण स्थापित नहीं की जा सकी थी। ये मीटर और सामग्री फरवरी 2018 में आपूर्ति के बाद से (मई 2021 तक) भंडार में पड़े हुए थे और इन्हें जिस उद्देश्य के लिए खरीदा गया था वह विफल हो गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया। हालाँकि, कंपनी के महाप्रबंधक (वाणिज्यिक और राजस्व) ने जगह की कमी को मीटर न लगाने का कारण माना और बताया (जून 2022) कि सभी मीटर अन्य जगहों पर स्थापित (जून 2021) कर दिए गए थे। तथापि तथ्य यही रहा कि कंपनी (जुलाई 2022) डीवीसी के टेक-ऑफ बिंदुओं पर अपने स्वयं के मीटर आज तक स्थापित नहीं कर सकी जिसके लिए वे क्रय गए थे।

(iv) डीटी मीटर की खरीद और स्थापना

डीटी मीटरों एवं सहायक सामग्रियों की आपूर्ति साथ ही पाँच वर्षों के वार्षिक रखरखाव हेतु दो एजेंसियों को लेटर ऑफ अवार्ड (जुलाई 2017 और फरवरी 2018) जारी किया गया। इन मीटरों की स्थापना का उद्देश्य मॉडेम के माध्यम से दूरस्थ रूप से ऊर्जा रीडिंग प्राप्त करने, ऊर्जा लेखांकन एवं उच्च भार और उच्च ऊर्जा हानि वाले डीटी की पहचान के लिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रय गए 18,979 डीटी मीटरों में से 11,485 सात नमूना-जाँचित ईएससी में स्थापित किए गए थे। हालाँकि सभी स्थापित मीटरों में से ऊर्जा आँकड़ा प्राप्त नहीं किया जा रहा था। नमूना-जाँचित किए गए सात ईएससी में यह देखा गया कि दिसंबर 2019 से मार्च 2021 की अवधि के लिए, 11,485 डीटी मीटर में से ₹ 4.69 करोड़ की लागत से स्थापित औसतन 3,543 डीटी मीटर (31 प्रतिशत) से ऊर्जा डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका। यह मुख्य रूप से मीटर गायब होना, मीटर जलने, मीटर बायपास, संबंध-विच्छेद किए गए डीटी, मीटरों में खराबी आदि के कारण था। इस प्रकार, डीटी मीटरों की खरीद का उद्देश्य, अर्थात, ऊर्जा लेखांकन, उच्च ऊर्जा हानि वाले डीटी और अतिभारित डीटी की पहचान, पूरा नहीं हो सका।

उत्तर में विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि ईएससी चाईबासा ने संबंधित एजेंसी को गैर-संचारी मीटरों को ठीक करने के लिए कहा गया था, लेकिन अन्य छः नमूना-जाँचित ईएससी में की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, पर विभाग चुप था।

5.8.4 क्रय पर परिहार्य व्यय

भारत सरकार ने ईएससी, हजारीबाग के चतरा जिले में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अगस्त 2014 में नामांकित किया था। चूँकि, डीवीसी ने मानवबल की कमी और बिजली उत्पादन और बिजली संयंत्रों के निर्माण के अपने मुख्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने विभागीय रूप से काम लिया और विद्युतीकरण के लिए अगस्त 2017 में चतरा जिले के 549 गांवों का एक डीपीआर तैयार किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा शुरू में डीपीआर (अगस्त 2017) में ₹ 32.87 करोड़ के लिए किया अनुमोदित गया था, लेकिन बाद में इसे, कार्यक्षेत्र में बार-बार संशोधन के फलस्वरूप अपेक्षित सामग्री की मात्रा में भिन्नता के कारण संशोधित करते हुए ₹ 75.62 करोड़ (फरवरी 2018), ₹ 132.73 करोड़ (अक्टूबर 2018) और ₹ 93.46 करोड़[17] (अगस्त 2020) किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.3** में दिखाया गया है।

तालिका 5.3: प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता में वृद्धि का विवरण

क्र.स.	सामग्री का नाम	आकलित मात्रा			
		अगस्त 2017	फरवरी 2018	अक्टुबर 2018	अगस्त 2020
1	पीएससी पोल 200 किग्रा (संख्या)	10,208	36,190	61,000	69,526
2	एसीएसआर रैबिट कंडक्टर (किमी में)	915	1,727	2,800	2,497
3	एलटी एबी केबल 3 सी X 50 वर्ग मिमी (किमी में)	455	605	1,700	1,480
4	एलटी एबी केबल 1सी X 16 वर्ग मिमी (किमी में)	0	0	300	251

पहली डीपीआर तैयार करने से पहले कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र बढ़ गया और संशोधित डीपीआर तैयार करने के लिए भी सभी क्षेत्रों/टोलों/पंचायत भवनों/स्कूलों आदि को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि समय-समय पर संशोधित आवश्यकता के अनुसार सामग्री को टुकड़ों में क्रय किया गया। समय बीतने के साथ सामग्री की लागत में वृद्धि हुई और कंपनी ने सामग्री की क्रय पर ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जैसा कि **तालिका 5.4** में वर्णित है।

---

[17] *549 गाँवों से 539 गाँवों तक विद्युतीकरण के लिए चिन्हित गाँवों की संख्या में कमी के कारण डीपीआर की लागत कम हो गई।*

तालिका 5.4: अधिक व्यय का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	क्रय विवरणी				उच्च दरों पर क्रय की गई मात्रा	दरों में अंतर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
		फरवरी 2018 में आवश्यकताएँ	जिस दर पर क्रय किया गया (₹ में)	अक्टूबर 2018 में आवश्य कताएँ	जिस दर पर क्रय किया गया (₹ में)			
1	पीएससी पोल 200 किग्रा (संख्या)	36,190	2,427.84	61,000	2,516.94	24,810	89.10	22.10
2	एसीएसआर रैबिट कंडक्टर (किमी में)	1,727	34,529.04	2,800	40,426.8	1,217	5,897.76	71.78
3	एलटी एबी केबल 3 सी X 50 वर्ग मिमी (किमी में)	605	1,41,214	1,700	1,49,860	1,192	8,646.00	103.06
4	एलटी एबी केबल 1सी X 16 वर्ग मिमी (किमी में)	0	28,366	300	29,974	300	1,608.00	4.82
कुल								201.76

स्रोत: *डेटा कंपनी के रिकॉर्ड से संकलित*

इस प्रकार अपूर्ण सर्वेक्षणों के आधार पर सामग्री की टुकड़ों में क्रय के कारण कंपनी को ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि प्रारम्भ में डी.पी.आर. प्राक्कलन के आधार पर तैयार किया गया था और बाद में नये क्षेत्रों/टोलों की पहचान एवं समावेशन, ग्रामों की भौगोलिक स्थिति एवं मार्ग अधिकार के कारण डी.पी.आर. को बदला गया। उत्तर ने पुष्टि की कि डीपीआर तैयार करने से पहले कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था और इसलिए कार्य के दायरे को बार-बार संशोधित करना पड़ा, जिसके कारण अंततः परिहार्य व्यय हुआ।

5.8.5 सामग्री का परीक्षण

एसीएसआर कंडक्टरों की खरीद में परीक्षण और निरीक्षण

डब्लू एंड पी नियमावली के अनुसार, एसीएसआर कंडक्टर[18] और केबल के क्रय के मामले में, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यर्पण बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से एक परीक्षण प्रतिवेदन, निविदा के बोली के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसके विफल होने पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना है। इसके अलावा, निर्माता के परिसर में पूर्व-प्रेषण निरीक्षण के दौरान लंबाई, वजन, शक्ति, लचीलापन, तनाव आदि सुनिश्चित करने के लिए एसीएसआर कंडक्टरों के लिए 13 परीक्षण और केबलों के लिए सात परीक्षण किए

[18] *एसीएसआर: प्रबलित एल्यूमिनियम कंडक्टर*

जाने की आवश्यकता होती थी। प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के दौरान परीक्षण किया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त निर्माता को कच्चे माल और अन्य वस्तुओं के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएपी) अपनाने की आवश्यकता थी, जो इसके स्रोत और परीक्षण प्रतिवेदन को दिखाती हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी के एस एंड पी विंग द्वारा केंद्रीकृत क्रय में का. एवं क्र. नियमावली के मानदंडों का पालन किया गया था जबकि, नमूना-जाँचित ईएससी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 2,196 किलोमीटर एसीएसआर कंडक्टर, 36.50 किमी केबल और 2,639 पोल की क्रय में गुणवत्ता आश्वासन के मानदंडों का पालन नहीं किया था, जिनका मूल्य ₹ 15.02 करोड़ था। नमूना-जाँच किए गए ईएससी ने प्रस्ताव या आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ताओं से एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की परीक्षण-प्रतिवेदन भी नहीं मांगी थी। उन्होंने मुख्य रूप से दृश्य परीक्षा के आधार पर सामग्री की स्वीकृति के साथ तदर्थ तरीके से प्रेषण-पूर्व निरीक्षण किया था। उन्होंने सामग्री की लंबाई, वजन, शक्ति, लचीलापन आदि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परीक्षण भी नहीं किया और न ही उन्होंने प्रेषण-पूर्व निरीक्षणों में अपनी स्वीकृति देने से पहले क्यूएपी को अपनाना सुनिश्चित किया।

इस प्रकार स्थानीय रूप से क्रय गए एसीएसआर कंडक्टर, केबल और पोल की गुणवत्ता उनकी स्थापना से पहले सुनिश्चित नहीं की गई थी, जो संभावित रूप से वितरण नेटवर्क के कम जीवन काल, उच्च टीएंडडी नुकसान और बार-बार समग्रियों के टूटने के अलावा दुर्घटनाओं के जोखिम में वृध्दि कर सकते हैं।

ईएससी, राँची के मामले में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (जुलाई 2022) कि भविष्य की क्रय के लिए परीक्षण और निरीक्षण संबंधी सिफारिशों का पालन किया जाएगा। दो अन्य ईएससी (चाईबासा और कोडरमा) के मामले में यह बताया गया कि पिछले क्रय आदेशों में दिए गए मानदंडों का पालन करते हुए सामग्री की क्रय की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि दोनों ईएससी ने कंडक्टरों की खरीद के लिए मानदंडों का पालन नहीं किया था।

5.8.6 आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान

परिनिर्धारित नुकसान की कम कटौती

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार सभी अनुबंधों में ठेकेदारों द्वारा काम में देरी हेतु अनुबंध के मूल्य के आधा प्रतिशत प्रति पखवाड़े पर, जो अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत रहेगा, परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) से संबधित उपवाक्य प्रदान करना

आवश्यक था। एक सहमति से तय वितरण अनुसूची के अंतर्गत आपूर्ति के मामले में, एलडी की गणना आपूर्ति के अनिष्पादित हिस्से पर की जानी थी।

संचिकाओं की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि मुख्यालय से जारी तीन क्र.आ.[19] में निर्धारित 10 प्रतिशत के स्थान पर अधिकतम पाँच प्रतिशत एलडी का प्रावधान था। इन तीनों क्र.आ. में आपूर्ति में 20 सप्ताह से अधिक की देरी हुई थी और पाँच प्रतिशत एलडी की ही कटौती हुई था। इसके परिणामस्वरूप संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से एलडी की ₹ 36.68 लाख[20] की कम कटौती हुई।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि एसएंडपी, नि.आ.सू. में निर्धारित खंड के अनुसार सभी क्र.आ. में एलडी की कटौती कर रहा है, क्योंकि का. एवं क्र. नियमावली एसएंडपी द्वारा देर से प्राप्त किया गया था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि उक्त नि.आ.सू. को बीओडी द्वारा का. एवं क्र. नियमावली के अनुमोदन (मार्च 2017) के बाद (मई और अगस्त 2017) में जारी किया गया था।

5.9 वस्तु-सूची नियंत्रण में कमियाँ

5.9.1 सामग्री प्रबंधन के लिए प्रबंधन सचना प्रणाली

सामग्री प्रबंधन (एमएम) के लिए एक एमआईएस का मुख्य उद्देश्य भंडार की आवश्यकताओं, क्रय, उपलब्धता और उपयोग के बीच ताल-मेल सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में निगरानी, योजना, डेटा का डिजिटलीकरण और वस्तु-सूची की वास्तविक समय की स्थिति सुनिश्चित करना भी है।

कंपनी के पूँजीगत व्यय के लिए एक एमआईएस जैसे की सरल समीक्षा विकसित करने हेतु मैसर्स साइबर स्विफ्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 59.40 लाख का कार्य आदेश जारी (मई 2017) किया गया था, जिसमें एक एमएम मॉड्यूल के विकास के लिए ₹ 18 लाख की राशि भी शामिल थी। एजेंसी को एक वेब और मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर, क्लाउड पर SAAS (सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर) प्रदान करने, अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और मास्टर डेटा बनाने हेतु, अनुकूलित और कार्यान्वित करना था। इस प्रकार बनाया गया, मास्टर

---

[19] *क्र.आ. संख्या 169 दिनांक 28.03.2018, क्र.आ. संख्या 22 दिनांक 25.05.2018 और क्र.आ. संख्या 19 दिनांक 25.05.2018।*

[20] *क्र.आ. नंबर 169 दिनांक 28.03.2018: ₹ 8.86 लाख; क्र.आ. नंबर 22 दिनांक 22.05.2018: ₹ 24.57 लाख; और क्र.आ. नंबर 19 दिनांक 25.05.2018: ₹ 3.25 लाख*

डेटा, को एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ़्टवेयर में एकीकृत किया जाना था, जो किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन में था। शुरुआती अनुबंध की अवधि 24 महीने यानी मई 2019 तक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एजेंसी ने एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया और मई 2019 तक कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप (टीआरडब्लू), केंद्रीय भंडार और परियोजनाओं में प्रासंगिक डेटा दर्ज किया। इसके अलावा, एमडी जेबीवीएनएल ने दिसंबर 2019 तक अनुबंध अवधि के विस्तार को मंजूरी दे दी क्योंकि बनाए गए मास्टर डेटा को वैकल्पिक ईआरपी के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका और ईआरपी अभी तक चालू नहीं हो सका था। इसके बाद, महाप्रबंधक (आईटी) ने नवंबर 2019 में परियोजना को बंद करने की मंजूरी दे दी क्योंकि ईआरपी एमएम मॉड्यूल के दिसंबर 2019 तक लाइव होने की उम्मीद थी। एजेंसी ने ₹ 41.05 लाख की राशि का भुगतान होने के बाद नवंबर 2019 में अपनी सेवाओं को वापस ले लिया। चूंकि, अनुबंध एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर के लिए था इसलिए सामग्री प्रबंधन के लिए एमआईएस फिर से गैर-कार्यात्मक हो गया, क्योंकि एजेंसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड कंपनी को नहीं सौंपा गया था। इसके अलावा, वैकल्पिक ईआरपी प्रणाली जुलाई 2022 तक लागू नहीं की गई थी और इसलिए परियोजना के तहत बनाए गए मास्टर डेटा को भी उपयोग में नहीं लाया जा सका। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एसएंडपी विंग क्रय के समय केंद्रीय भंडार से टेलीफोन पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर भंडार की स्थिति को संकलित कर रहा था और बार-बार अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को क्रयादेश वार आपूर्ति विवरण प्रदान नहीं किया गया।

इस प्रकार, कंपनी सामग्री प्रबंधन के लिए एक एमआईएस विकसित करने हेतु ₹ 41.05 लाख का व्यय करने के बाद भी वास्तविक समय सामग्री प्रबंधन सुनिश्चित करने में विफल रही।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि कंपनी द्वारा ईआरपी लागू किया जाएगा, जिसके बाद वास्तविक समय पर एमआईएस उपलब्ध होगा।

हालाँकि, तथ्य यह है कि ईआरपी जुलाई 2022 तक लागू नहीं किया जा सका था और कंपनी दिसंबर 2019 से सरल समीक्षा के तहत बनाए गए डेटा बेस का उपयोग करने में विफल रही थी।

5.9.2 भंडार में मानवबल की स्थिति

भंडार के प्रभावी प्रबंधन और बेहतर आंतरिक नियंत्रण की सुविधा बनाने के लिए मानवबल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय

भंडार के लिए एक भंडार अधीक्षक होगा, जिसकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ भंडारपाल होगा।

विभिन्न ईएससी के अंतर्गत (मार्च 2021 तक) 15 कार्यशील केन्द्रीय भंडार थे। किंतु इन 15 केन्द्रीय भंडारों में केवल एक सहायक भंडार नियंत्रक, 13 वरिष्ठ भंडारपाल तथा चार सहायक भंडारपाल थे। नमूना जाँच में, जाँच किये गए सात केन्द्रीय भंडारों में केवल दो में वरिष्ठ प्रबंधकों की पदस्थापना की गयी थी तथा शेष केन्द्रीय भंडारों का नेतृत्व अतिरिक्त प्रभार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कंपनी ने एक नया संगठनात्मक ढांचा (अगस्त 2018) अपनाया था। किंतु केन्द्रीय भंडारों में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों की स्वीकृत संख्या परिभाषित नहीं की गई थी। यद्यपि कंपनी ने नए संगठनात्मक ढांचे के तहत सृजित पदों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था (नवंबर 2020) किंतु प्रतिवेदन प्रतीक्षित (अक्टूबर 2021 तक) था।

इस प्रकार, कम्पनी ने भंडारों के लिए पर्याप्त मानवबल सुनिश्चित नहीं किया, जो भंडारों के उचित लेखाओं को संधारित नहीं होने के मुख्य कारणों में से एक था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2022) कि नए संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

5.9.3 भंडार/टीआरडब्लू का भौतिक सत्यापन

कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) मैनुअल वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च तक) माल और सामग्री के भौतिक सत्यापन को प्रावधानित करता है और विसंगतियां यदि कोई हो तो भंडार रजिस्टर में दर्ज किया जाना है, ताकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके|

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- नमूना जाँच में जाँच किए गए सभी सात ईएससी में, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान केवल एक बार (वित्तीय वर्ष 2018-19) केंद्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू का भौतिक सत्यापन किया गया था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के तहत खरीदी गई ₹ 97.72 लाख की लागत वाली सामग्री जैसे जीआई तार, एबी स्विच, ट्राई-वेक्टर मीटर आदि को ईएससी, चास में भौतिक सत्यापन के दौरान सम्मिलित नहीं किया गया था, क्यूंकि वे केंद्रीय भंडार के भंडार खाता में शामिल नहीं किए गए थे।

- स्क्रैप की वस्तुओं को केन्द्रीय भंडारों के भंडार बहीखातों में शामिल किया गया था लेकिन नमूना-जाँचित सात ईएससी में से किसी में भी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया था।

विभाग ने (जुलाई 2022) दो ईएससी (राँची और कोडरमा) के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि, लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में, स्क्रैप का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था, और भविष्य में समय पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। हालाँकि, शेष पाँच ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.9.4 वस्तु-सूची का लेखांकन

(i) भंडारण प्रभारों का गैर-पूँजीकरण

लेखा और वित्तीय संहिता के अनुसार, भंडार से जुड़े सभी आकस्मिक व्यय जैसे भंडार-कीपिंग व्यय, किराया, कुलियों को भंडार करने के लिए मजदूरी, सामग्री और भंडार गोदामों आदि को संभालने के लिए कार्य प्रभारित व्यय, वास्तविक प्रासंगिक व्यय या कार्यों के लिए जारी किए गए भंडार के मूल्य पर प्रतिशत शुल्क के रूप डेबिट किया जाना है। लेखांकन नीति में यह भी परिकल्पना की गई है कि प्रगति में पूँजीगत कार्य लागत पर किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, प्रासंगिक व्यय और ब्याज शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यों के प्राक्कलन में सामग्री लागत का तीन प्रतिशत भंडारण शुल्क के रूप में लिया जा रहा था। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लेखांकन के समय ₹ 33.35 करोड़ के भंडारण शुल्क को ₹ 1,111.55 करोड़[21] मूल्य की सामग्री, जिसे निर्गत किया गया था और पूँजीगत कार्यों पर प्रगति के रूप में खाता में लिया गया था, को मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में भंडारण व्यय का एक हिस्सा पूँजीगत कार्यों पर प्रगति पर नहीं लगाया गया था और इसलिए परिसंपत्तियों के पूँजीकरण को कम दिखाया गया था और भंडारण व्यय को अधिक दिखाया गया था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि ईएससी, राँची के खातों में सुधार किया जाएगा, जबकि दो ईएससी (कोडरमा और हजारीबाग) में भंडारण शुल्क को पूँजीकरण की लागत में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह उपयोग की गई वास्तविक लागत

---

[21] *ईएससी, हजारीबाग में ₹ 273.30 करोड़; ईएससी, जमशेदपुर में ₹ 130.13 करोड़; ईएससी, चास में ₹ 92.72 करोड़; ईएससी, कोडरमा में ₹ 37.94 करोड़; ईएससी, चाईबासा में ₹ 418.37 करोड़; ईएससी, साहिबगंज में ₹ 51.63 करोड़; और ईएससी, राँची में ₹ 107.46 करोड़।*

पर किया गया था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भंडारण प्रभारों सहित सभी प्रासंगिक प्रभारों को पूँजीकरण की लागत में शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) वस्तु-सूची का गलत लेखांकन

लेखा और वित्तीय-संहिता के प्रावधानों के अनुसार, सभी माँगपत्रों पर सामग्री जारी करने के लिए कार्य आदेश का विवरण और खाता शीर्ष के अलावा कार्य के प्रकृति (पूँजी या संचालन और रखरखाव) का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए।

नमूना-जाँचित सात ईएससी में भंडार इश्यू वाउचर[22] (एसआईवी) की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि छः ईएससी (राँची को छोड़कर) में संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए सामग्री निर्गत की गई थी किंतु निर्गत की गई सामग्री का मूल्य पूँजीगत कार्यों पर भारित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कम से कम ₹ 44.45 करोड़[23] की सामग्री ओ एंड एम कार्यों के लिए जारी की गई थी लेकिन पूँजीगत कार्यों पर भारित की गई थी। लेखाओं में सामग्री के मूल्य का गलत वर्गीकरण, कार्यादेशों के विवरण के अभाव, मांगों या एसआईवी में लेखा शीर्षों या कार्यों की संक्षिप्त विवरण नहीं होने के अतिरिक्त केंद्रीय भंडारों में कार्मिकों की कमी के कारण था।

इस प्रकार, पूँजी कार्यों के लिए सामग्री के मूल्य के गलत वर्गीकरण के कारण कंपनी के राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया था।

संबंधित डीजीएम ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2021 से सितंबर 2021 के बीच) कि खातों में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

(iii) वस्तु-सूची का लेखांकन नहीं करना

कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली के अनुसार, महीने के लिए सभी स्टोर्स के खातों को 20 तारीख को बंद किया जाना है और स्टोर्स रिसीव्ड वाउचर[24] (एसआरवी), माँग-पत्र और हस्तांतरण[25] के अंतिम बैच को 23वें दिन लेखा अनुभाग में भेजा जाना है। खातों को बंद करने पर, भंडार प्राप्तियों, निर्गत एवं शेष का सार कंपनी के वित्तीय और लेखा संहिता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पाँच दिनों के भीतर लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाना है।

---

22 *एसआईवी माँग प्रपत्र हैं जिन पर केंद्रीय भंडार से सामग्री जारी की जाती है।*

23 *ईएससी, हजारीबाग में ₹ 11.08 करोड़ रुपये; ईएससी, जमशेदपुर में ₹ 0.89 करोड़; ईएससी, चास में ₹ 28.05 करोड़; ईएससी, कोडरमा में ₹ 3.34 करोड़; ईएससी, चाईबासा में ₹ 0.81 करोड़ और ईएससी, साहिबगंज में ₹ 0.28 करोड़। वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित विवरण ईएससी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।*

24 *इसआरवी ऐसे फॉर्म होते हैं जिनमें सेंट्रल स्टोर्स द्वारा प्राप्त सामग्री का विवरण होता है।*

25 *स्टोर्स में प्राप्त हस्तांतरित सामग्री।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो चयनित ईएससी (चास और कोडरमा) में ट्रांसफॉर्मर मरम्मत कार्यशालाओं (टीआरडब्ल्यू) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 2.94 करोड़ की निर्गत सामग्री के विरुद्ध, टीआरडब्ल्यू ने ₹ 2.46 करोड़ की सामग्री का उपयोग ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के लिए किया जो सीधे विक्रेताओं से प्राप्त थी। हालाँकि टीआरडब्ल्यू ने मार्च 2020 तक निर्धारित प्रपत्रों में लेखा अधिकारियों को भंडार की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी। परिणामस्वरूप, ईएससी के अंतिम भंडार और व्यय को खातों में क्रमशः ₹ 48 लाख और ₹ 2.46 करोड़ कम करके दिखाया गया था।

संबंधित डीजीएम ने इस तथ्य को स्वीकार किया (मार्च 2021 और जुलाई 2021) और कहा कि खातों में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

5.9.5 वस्तु-सूची का प्रबंधन

(i) वस्तु-सूची की प्राप्ति और भंडारण

का. एवं क्र. नियमावली और लेखा और वित्तीय (ए एंड एफ) कोड वस्तु-सूची के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए मानदंड का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित सभी सात केंद्रीय भंडारों में वस्तु-सूची प्रबंधन में कमियाँ पाईं, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- ए एंड एफ कोड के अनुसार, भंडार में प्राप्त सभी सामग्री की जाँच और गणना, वजन या माप किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि छः केंद्रीय भंडारों (राँची को छोड़कर) में तौलने की मशीन और क्रेन उपलब्ध नहीं थे। तौलने वाली मशीनों और क्रेनों के अभाव में ये केंद्रीय भंडार आपूर्तिकर्ताओं के वजन रसीदों द्वारा समर्थित सामग्री को बिना किसी प्रति-सत्यापन की प्रणाली के स्वीकार कर रहे थे।

- ए एंड एफ कोड के अनुसार, भंडार के पदाधिकारी को सामग्री के ख़राब होने, चोरी, आग, पतन होने आदि से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की व्यवस्था करनी होती है। सभी सात नमूना-जाँचित ईएससी में सामग्री जगह की कमी के कारण खुले में पड़ी हुई पाई गई, जैसा कि **चित्र-5.1** में दिखाया गया है। यह चोरी और गुणवत्ता में गिरावट के जोखिम से भरा हुआ था।

चित्र-5.1: केंद्रीय भंडारों में अव्यवस्थित ढंग से रखी सामग्री के चित्र

केंद्रीय भंडार हजारीबाग में खुले में पड़े कंडक्टर और केबल	*केंद्रीय भंडार जमशेदपुर में खुले में पड़े कंडक्टर व अन्य उपकरण*
केंद्रीय भंडार चास में खुले में पड़े कंडक्टर, केबल, ट्रांसफार्मर व अन्य निर्माण सामग्री	*केंद्रीय भंडार कोडरमा में खुले में पड़ा ट्रांसफार्मर*
केंद्रीय भंडार चाईबासा में खुले में पड़े कंडक्टर व फेब्रिकेशन का सामान	*केंद्रीय भंडार साहिबगंज में खुले में पड़े कंडक्टर, ट्रांसफार्मर व स्टील ट्यूबलर पोल*
केंद्रीय भंडार राँची में खुले में पड़े केबिल	

• नमूना-जाँचित किये गये सात केन्द्रीय भंडारों में से किसी में भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं थे। केंद्रीय भंडार, चास में आग लगने की घटना (नवंबर 2018) हुई थी,

जिससे ₹ 3.75 लाख की अनुमानित हानि हुई, और केंद्रीय भंडार, जमशेदपुर में चोरी की घटना हुई थी (जुलाई 2019), जिससे अनुमानित ₹ 2.82 लाख का नुकसान हुआ। कोडरमा के केन्द्रीय भंडार में चहारदीवारी के अभाव ने, जैसा कि **चित्र-5.2** में दिखाया गया है, सामग्री की चोरी के जोखिम से असुरक्षित कर दिया था।

चित्र 5.2: केंद्रीय भंडार, कोडरमा में चहारदीवारी एवं बाड़ के चित्र

केंद्रीय भंडार, कोडरमा, बिना चहारदीवारी और अस्थायी गेट का चित्र	***केंद्रीय भंडार, कोडरमा में कंटीले तारों की बाड़ के बिना चाहरदीवारी***

- ए एंड एफ कोड के अनुसार, एक ही सामग्री का पूरा भंडार भंडार के भीतर एक ही स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, और एक से अधिक स्थानों पर भंडारण से बचना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि चार ईएससी (हजारीबाग, जमशेदपुर, चास और कोडरमा) में केन्द्रीय भंडार परिसर के बाहर विभिन्न स्थानों पर अव्यवस्थित ढंग से बिजली के खंभे रखे गए थे, जैसा कि **चित्र 5.3** में दिखाया गया है।

चित्र 5.3: केन्द्रीय भंडार परिसर के बाहर विभिन्न स्थान पर रखे पोल

हजारीबाग में गेस्ट हाउस के पास पड़े बिजली के खंभे	***जमशेदपुर में करनडीह मंडल कार्यालय के पास पड़े बिजली के खंभे***

चास में सड़क के किनारे पड़े बिजली के खंभे	***कोडरमा में सड़क किनारे पड़े बिजली के खंभे***

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि चार ईएससी (राँची, चाईबासा, कोडरमा और हजारीबाग) में उचित शेड की कमी और गोदाम (ईएससी, कोडरमा) की अनुपलब्धता के कारण सामग्री को या तो खुले क्षेत्रों में या जिला प्रशासन का पुराना सर्किट हाउस क्षेत्र में रखा गया था। ईएससी, कोडरमा में चहारदीवारी के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रियाधीन थी।

(ii) विघटित सामग्री की स्वीकृति

सड़क मार्ग, जलमार्ग व भवन आदि के निर्माण या चौड़ीकरण के कारण उपयोगिता स्थानांतरण से संबंधित कार्य 'जमा' शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह के काम में स्थापित सामग्री को विघटित करना शामिल है, जो कंपनी की संपत्ति है। विघटित सामग्री, प्राक्कलन में कार्यक्षेत्र के अनुसार, केंद्रीय भंडार में वापस की जानी है।

सभी सात नमूना-जाँचित ईएससी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि:

- केंद्रीय भंडार द्वारा विघटित सामग्री, जैसे कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, खंभे आदि को विखंडन की मात्रा दिखाने वाले आकलन की प्रति को प्राप्त किये बिना स्वीकार किए गए थे। इसके कारण लेखापरीक्षा भंडारों में प्राप्त एवं प्राप्त होने वाले विघटित सामग्री की मात्रा का प्रतिसत्यापन नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एनएचएआई ने ईएससी, कोडरमा की देखरेख में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य[26] स्वयं किया था। हालाँकि, एनएचएआई ने ₹ 1.62 करोड़ मूल्य के रेल खंभे, कंडक्टर आदि विघटित सामग्री को केन्द्रीय भंडार (जुलाई 2021 तक) को वापस नहीं किया था भले ही काम मार्च 2020 में पूरा हो गया था।

---

[26] *ईएससी, कोडरमा में सड़क के चौड़ीकरण के कारण एनएच 31 पर मौजूदा उपयोगिताओं का स्थानांतरण।*

- दो कार्यों[27] में, ठेकेदारों ने विघटित सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अर्थात 428 रेल पोल, 91.27 किमी एसीएसआर डॉग/रैबिट कंडक्टर, विभिन्न क्षमताओं के 28 डीटी और 7.85 किमी के एसीएसआर वीसल कंडक्टर, जिसकी कीमत ₹ 2.43 करोड़ है केंद्रीय भंडार, जमशेदपुर को वापस नहीं किया। इसके अलावा ईएससी चास में सारम में एक पावर सब-स्टेशन (पीएसएस) के निर्माण के मामले में ₹ 17.49 लाख मूल्य के 58 अनुपयोगी रेल खंभे केंद्रीय भंडार में वापस नहीं किए गए थे और कहा गया था कि वे अक्टूबर 2017 के बाद से साइट पर पड़े हुए हैं।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 3,29,587.17 किलोग्राम वजन वाले विघटित कंडक्टर स्क्रैप लेजर में दर्ज किए गए थे, लेकिन, नमूना-जाँचित सभी सात केंद्रीय स्टोरों से, विद्युत लाइनों के रखरखाव और मजबूती के लिए फिर से जारी किए गए थे। विघटित सामग्री, जिसे फिर से जारी किया गया था, की गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय भंडार में कोई तंत्र नहीं था। इसलिए निम्न कोटि के कंडक्टरों के साथ संपत्तियों के निर्माण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

- ईएससी, कोडरमा के मामले में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और कहा कि विघटित सामग्री की वापसी के लिए परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. के साथ बार-बार पत्राचार किया गया था। ईएससी, चाईबासा के संबंध में यह कहा गया था कि खराब होने/टूटने में नए कंडक्टरों की अनुपलब्धता के कारण अच्छी स्थिति वाले विघटित कंडक्टरों के छोटे टुकड़े को फील्ड में निर्गत किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अन्य पुरानी सामग्री के साथ विघटित कंडक्टर को, बिना उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित किए, रखरखाव और मूल कार्यों दोनों में उन्हें स्क्रैप के रूप में पहचानने के बाद भी निर्गत किए गए थे।

(iii) सामग्री को आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना निर्गत करना

ए एंड एफ संहिता के अनुसार, सामग्री जारी करने के लिए सभी मांगों पर कार्य आदेश[28] का विवरण होना चाहिए। का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सामग्री को प्राक्कलन और कार्य आदेश के आधार पर भंडार क्षेत्र से बाहर निर्गत किया जाना है।

---

[27] *एनएच-33 के महुलिया-बहरागोड़ा-चिरचिरा अनुभाग के लिए डिस्मैंटलिंग कार्य और ईएससी, जमशेदपुर में पटमदा अनुभाग के अंतर्गत बंदवान-काटिन-बदाभूम सड़क की 11 केवी, डीएसएस और एलटी लाइन को स्थानांतरित करना।*

[28] *प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति (कार्य के निष्पादन के लिए औपचारिक स्वीकृति) के बाद कार्य आदेश जारी किए जाते हैं।*

नमूना-जाँचित सात केंद्रीय भंडारों में भंडार निर्गमन वाउचरों (एसआईवी) की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि सामग्री को बिना प्राक्कलन और कार्यादेशों का विवरण प्राप्त किए पूँजीगत प्रकृति के कार्यों के लिए जारी किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.5** में वर्णित है।

तालिका 5.5: प्राक्कलन और कार्य आदेश के बिना निर्गत की गई सामग्री का विवरण

क्र. स.	ईएससी का नाम	एसआईवीव की संख्या जो की प्राक्कलन और कार्य आदेशों द्वारा समर्थित नहीं है	निर्गत की गई सामग्री का मूल्य (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे
1.	हजारीबाग	175	2.39	--
2.	जमशेदपुर	249	2.11	2017-18 और 2018-19
3.	चास	215	2.63	2017-18 और 2018-19
4.	कोडरमा	86	0.80	--
5.	साहिबगंज	748	13.99	2017-18
6.	चाईबासा	23	0.25	--
7.	राँची	499	5.11	2017-18 और 2018-19
कुल		**1,995**	**27.28**	**--**

स्रोत: *कंपनी द्वारा दी गई जानकारी*

तालिका 5.5 से यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय भंडारों द्वारा 1,995 एसआईवी के विरुद्ध, ₹ 27.28 करोड़ मूल्य की सामग्री आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना जारी की गई थी। आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना सामग्री का निर्गमन, सामग्री के अत्यधिक निर्गमन और दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ था।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2022) कि: (i) तीन ईएससी (चास, चाईबासा और कोडरमा) में अत्यावश्यक कार्यों के लिए सामग्री जारी की गई थी (ii) तथापि, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। शेष चार ईएससी के संबंध में उत्तर मौन था।

(iv) सामग्री का अनियमित विचलन

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सामग्री की कमी या अनुपलब्धता के कारण, एक शीर्ष से अन्य शीर्षों में सामग्री की अदला-बदली से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए।

नमूना-जाँचित सात ईएससी में से तीन में, लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विशिष्ट शीर्षों के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्रियों को दूसरे शीर्षों के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के लिए जारी की गई थी, जैसा कि **तालिका 5.6** में वर्णित है।

तालिका: 5.6: सामग्री का एक शीर्षों से दूसरे शीर्षों पर स्थानांतरण

ईएससी का नाम	शीर्ष जिसके लिए सामग्री प्राप्त की गई थी	वस्तु	यूनिट	जमा शीर्ष/डीडीयू जीजेवाई को निर्गत किया गया	प्रति यूनिट खरीद दर (₹ में)	निर्गत की गई सामग्री का मूल्य (₹ में)
जमशेदपुर	एडीपी	रेल पोल	स.	8	33,228.80	2,65,830.40
	आरएपीडी आरपी	25 केभीए डीटीआर	स.	1	49,051.00	49,051.00
	जसबे	सिंगल फेज मीटर	स.	7,700	905.00	69,68,500.00
चास	आरएपीडी आरपी	एलटी एबी केबल	कि.मी.	1	5,31,408.68	5,31,408.68
राँची	आरई	एलटी एबी केबल	कि.मी.	4.69	1,41,214.46	6,62,295.82
		एसीएसआर रैबिट कंडक्टर	कि.मी.	152.5	34,529.04	52,65,678.60
कुल						1,37,42,764.50

स्रोत: *कंपनी के रिकॉर्ड*

तालिका 5.6 से देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों के लिए क्रय किये गए ₹ 1.37 करोड़ मूल्य की सामग्री को जमा कार्य के लिए (₹ 67.74 लाख) और एक टर्नकी ठेकेदार (₹ 69.68 लाख) को डीडीयूजीजेवाई के तहत कार्यों के लिए निर्गत (मार्च 2018 से मार्च 2020) की गई थी। हस्तांतरित सामग्री का समायोजन/प्रतिपूर्ति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2021 तक)।

ईएससी चास के मामले में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि सामग्री मदों को संबंधित शीर्षों में खरीद कर समायोजित किया जाएगा। शेष दो ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.9.6 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत

खराब और जले हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत प्रत्येक ईएससी में एक, 15 ट्रांसफार्मर मरम्मती कार्यशाला (टीआरडब्ल्यू) है।

(i) ट्रांसफार्मर से तेल की प्राप्ति

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, टीआरडब्ल्यू में मरम्मत के लिए प्राप्त ट्रांसफार्मर को एक समि ई.एस.सी. ति[29] की उपस्थिति में खोला जाना है, जिसे

[29] *समिति में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (टीआरडब्ल्यू), असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (टीआरडब्ल्यू), जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (आपूर्ति) और रिपेयरिंग एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हैं।*

ट्रांसफार्मर के स्क्रैप (कॉइल) और तेल स्तर का निरीक्षण करना आवश्यक है। यदि ट्रांसफार्मर का तेल 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो संबंधित कनिष्ठ प्रबंधक को या तो समिति को उचित कारण प्रस्तुत करना होगा, या तेल या कॉइल की चोरी के मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। पुन: उपयोग योग्य कॉइल और तेल को वस्तु-सूची रजिस्टर में दर्ज किया जाना है, जिसमें उनके विवरण जैसे ट्रांसफार्मर की क्रम संख्या, स्थापना के स्थान, उनकी क्षमता, दोष/जलने की तिथियां और कारण, कोर और कॉइल की स्थिति, तेल का स्तर आदि शामिल है।

नमूना-जाँचित सात टीआरडब्ल्यू के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि:

- किसी भी टीआरडब्ल्यू में खराब या जले हुए ट्रांसफॉर्मर की जाँच के लिए समितियों का गठन नहीं किया गया था। पाँच टीआरडब्ल्यू[30] में, अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक मरम्मत के लिए 8,818 ट्रांसफॉर्मर प्राप्त हुए थे। लेखापरीक्षा में 13.62 लाख लीटर ट्रांसफॉर्मर तेल की कमी पाई गई, जिसका मूल्य ₹ 3.41 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.3)*** था, जो न तो औचित्य प्रतिवेदन द्वारा समर्थित था और ना ही एफआईआर की कॉपी द्वारा। दो टीआरडब्ल्यू[31] में, 2,958 दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों से बरामद तेल का कोई विवरण नहीं था, जिसके कारण लेखापरीक्षा इन ट्रांसफार्मरों से बरामद तेल की मात्रा में कमी, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सका।

- खराब ट्रांसफॉर्मर की विस्तृत जानकारी जिसमें खराब ट्रांसफॉर्मर की क्रम संख्या, स्थापित स्थान, उनकी क्षमता, तिथियां और जलने या दोष के कारण, कोर और कॉइल की स्थिति, तेल आदि का स्तर शामिल हैं, किसी भी टीआरडब्ल्यू के वस्तु-सूची रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि: (i) ईएससी, राँची के अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा गया है (ii) एक समिति बनाई जाएगी और (iii) ईएससी, राँची में एक वस्तु-सूची रजिस्टर बनाया जाएगा। दो अन्य ईएससी (चाईबासा और हजारीबाग) के संबंध में, यह कहा गया था कि डीटी में रिसाव आकस्मिक क्षति, ज्यादा स्पार्क, वज्रपात, आंतरिक दोष आदि के कारण हुआ था जिससे तेल की कमी हुई थी, और समितियों का गठन अधिकारियों के पदों पर रिक्तियों के कारण नहीं किया गया था। उक्त दो ईएससी के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि किसी भी कारण से तेल की कमी को समितियों द्वारा प्रमाणित किया जाना था, जो गठित नहीं थे।

---

[30] *हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, साहिबगंज और राँची में टीआरडब्ल्यू*

[31] *चास और चाईबासा में टीआरडब्ल्यू।*

(ii) कॉइल का अत्यधिक निर्गत होना

कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसियों द्वारा टीआरडब्ल्यू में खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जाती है। मरम्मत के लिए आवश्यक वाइंडिंग तार, बिगड़े ट्रांसफॉर्मर के खराब हो चुके कॉइल को बदलने के लिए, नियुक्त एजेंसी को जारी किए जाते हैं। का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर में प्रदान किए गए एचवी/एलवी कॉइल का वजन, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर से निकाले गए कॉइल का वास्तविक वजन होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- नमूना-जाँचित सात में से छः टीआरडब्ल्यू ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक में खराब ट्रांसफॉर्मर से बरामद 1,49,214.67 किलोग्राम बेकार कॉइल को बदलने के लिए एजेंसियों को 2,90,185.38 किलोग्राम वाइंडिंग कॉइल जारी किए थे। इस प्रकार, ₹ 3.21 करोड़ मूल्य के 1,40,970.71 किलोग्राम वाइंडिंग कॉइल (₹ 227.50 प्रति किलोग्राम की क्रय दर पर गणना की गयी), आवश्यकताओं से अधिक जारी किए गए थे। जारी किए गए अतिरिक्त कॉइलों की वसूली प्रतीक्षित थी (सितंबर 2021 तक)। लेखापरीक्षा टीआरडब्ल्यू, कोडरमा में वाइंडिंग कॉइल के मामले में विसंगतियों, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सका, क्योंकि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

- का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर पर अंतिम मरम्मत की तिथि का लेबल लगाना होता है, और एजेंसी को मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर को निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष की वारंटी प्रदान करनी होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी मरम्मतों के मामले में नए जॉब नंबर दिए गए थे। इसलिए, लेखापरीक्षा वारंटी अवधि के भीतर कंपनी की लागत पर पुनः मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर की संख्या का पता नहीं लगा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने ईएससी, चाईबासा में एजेंसी से 4,541.59 किलोग्राम कॉइल बरामद (अगस्त 2021) किया। हालाँकि, विभाग ने शेष पाँच ईएससी (जुलाई 2022 तक) में शुरू की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, की सूचना नहीं दी थी।

5.9.7 टीआरडब्ल्यू में सुविधाओं की कमी

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सभी मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर पर, IS: 2026/1977 (भाग-I), IS 2026/1981 (भाग-III) और उसके नवीनतम संशोधन के

साथ, सभी नियमित परीक्षण[32] करने होते हैं। साथ ही, टीआरडब्ल्यू को अग्निशमन उपायों को अपनाने की जरूरत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

• नमूना-जाँचित सात टीआरडब्ल्यू में से किसी के द्वारा, संबंधित परीक्षण उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण, ऊर्जा हानि के लिए परीक्षण नहीं किया जा रहा था। छः टीआरडब्ल्यू (राँची को छोड़कर) में अन्य नियमित जाँच[33] भी नहीं हो रही थी। यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक में सात नमूना-जाँचित टीआरडब्ल्यू द्वारा, 11906 मरम्मत किए गए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किए बिना, वितरण नेटवर्क में स्थापना के लिए तक जारी किए गए थे। इससे जुड़े बिजली के उपकरणों, उपकरणों को संभालने वाले कर्मियों और जनता की सुरक्षा से समझौता करने के अलावा, अतिरिक्त ऊर्जा हानि और बार-बार बिजली ख़राब होने का खतरा होता है।

• टीआरडब्ल्यू में स्क्रैप सामग्री और उपयोग के बाद निकले गए ट्रांसफॉर्मर तेल (जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है) के भंडारण के लिए जगह और उचित सुविधाओं का अभाव था। हालाँकि, टीआरडब्ल्यू, राँची में अग्निशमन यंत्रों को छोड़कर, अन्य टीआरडब्ल्यू में पर्याप्त अग्निशमन प्रणाली नहीं थी। यह देखा गया कि टीआरडब्ल्यू, चास में एक आग की घटना (सितंबर 2020) को नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, जिसमें ₹ 2.95 लाख मूल्य के स्क्रैप और उपकरण नष्ट हो गए थे। जाँच के लिए गठित समिति ने पाया (अक्टूबर 2020) कि टीआरडब्ल्यू में अग्निशमन प्रणाली नहीं थी और उचित अग्निशमन व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की।

विभाग ने तीन ईएससी (राँची, चाईबासा और कोडरमा) में उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक परीक्षण नहीं करने को स्वीकार किया (जुलाई 2022)। हालाँकि, यह कहा गया कि ईएससी, कोडरमा में एक परीक्षण मशीन स्थापित (जुलाई 2021) की गई थी। शेष चार ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

---

[32] *रेटेड वोल्टेज पर नो-लोड लॉस, 75^0 सेल्सियस.(वाट) पर लोड लॉस, 75^0 सेल्सियस. पर इम्पीडेंस टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट, डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट, ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्ट का बीडीभी वैल्यू आदि।*

[33] *इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, उच्च वोल्टेज परीक्षण, डबल वोल्टेज डबल आवृत्ति परीक्षण, ट्रांसफार्मर तेल परीक्षण का बीडीभी वैल्यू आदि।*

5.9.8 स्क्रैप का निपटान

कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी), भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय स्टोरों और टीआरडब्ल्यू में पड़ी हुई अप्रयुक्त/अप्रयोज्य/अप्रचलित लौह और गैर-लौह धातु के निपटान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (एए) प्रदान की (अक्टूबर 2015)। कंपनी और एमएसटीसी के बीच फरवरी 2016 में एक समझौता भी हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- कंपनी ने समझौते की तिथि से लगभग तीन वर्षों तक स्क्रैप की नीलामी के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी। स्क्रैप दरों के निर्धारण के लिए दो बार स्थायी समिति का गठन (मार्च 2018 और जनवरी 2019) किया गया था, और बीओडी ने पुनः ई-नीलामी के माध्यम से स्क्रैप के निपटान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (जून 2019) प्रदान किया।
- स्थायी कमेटी ने केवल टीआरडब्ल्यू के स्क्रैप आइटम के लिए आरक्षित मूल्य (जून 2019) तय किया था, लेकिन केन्द्रीय भंडार के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य (सितंबर 2021 तक) तय नहीं किया गया था। तदनुसार, बीओडी ने केवल टीआरडब्ल्यू के स्क्रैप के लिए आरक्षित मूल्य को अनुमोदित (जून 2019) किया।
- एमएसटीसी ने ई-नीलामी के लिए दो बार (सितंबर 2019 और नवंबर 2019) बोलियां आमंत्रित कीं, लेकिन, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[34] द्वारा जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक में बेचे गए समान स्क्रैप के आरक्षित मूल्य की तुलना में आरक्षित मूल्य अधिक होने के कारण वह फलीभूत नहीं किये गए। यद्यपि एमएसटीसी ने ई-नीलामी को सफल बनाने के लिए आरक्षित कीमतों की समीक्षा का सुझाव दिया (दिसंबर 2019) था, इस संबंध में की गयी कार्रवाई प्रतीक्षित (सितंबर 2021 तक) थी ।

इस प्रकार, कंपनी की निष्क्रियता के कारण, ₹ 13.24 करोड़ के अनुमानित मूल्य के स्क्रैप, जैसा कि ईएससी द्वारा आंकलित की गई थी, चार[35] नमूना-जाँचित ईएससी के केंद्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू में निष्क्रिय पड़ा था। शेष तीन नमूना-जाँचित ईएससी ने स्क्रैप के मूल्य का आकलन (सितंबर 2021 तक) नहीं किया था।

---

[34] *पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आदि।*

[35] *हजारीबाग, कोडरमा, राँची और चाईबासा के केंद्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू।*

उत्तर में, एस एंड पी विंग ने, लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (जनवरी 2022) कि स्क्रैप की नीलामी के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा संख्या 3: सामग्री प्रबंधन के लिए एमआईएस स्थापित किया जाना चाहिए और भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.10 सामग्री का अकुशल उपयोग

5.10.1 पी.एस.एस. में निष्क्रिय वस्तु-सूची

वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच चार ईएससी के डीजीएम द्वारा एडीपी के तहत संबंधित लाइनों के साथ नौ पावर सब-स्टेशन (पीएसएस[36]) के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। इन पीएसएस का विभागीय क्रियान्वयन उसी वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ, किंतु सामग्रियों का क्रय नहीं होने के साथ-साथ वन विभाग और रेलवे से वैधानिक मंजूरी लंबित होने के कारण, पूरा नहीं किया (सितंबर 2021 तक) जा सका, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच ईएससी, चास और जमशेदपुर में प्रत्येक में तीन पीएसएस[37] का निर्माण स्वीकृत किया गया था। हालाँकि, कंपनी द्वारा रेलवे क्लीयरेंस प्राप्त करने में देरी, पूर्ण की गई 33 केवी लाइन को चार्ज न करने और भंडार में सामग्री जैसे ट्रांसफॉर्मर, केबल, रेल पोल, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आदि की अनुपलब्धता के कारण काम पूरा नहीं (सितंबर 2021 तक) हुआ था। आगे, इन छः पीएसएस में जून 2016 और अक्टूबर 2020 के बीच जारी की गई ₹ 4.80 करोड़ की सामग्री का उपयोग नहीं (सितंबर 2021 तक) हो रहा था।

- तांतिझरिया में पीएसएस के निर्माण के लिए केंद्रीय भंडार, हजारीबाग को आपूर्तित (अप्रैल 2019) ₹ 23.76 लाख मूल्य का पावर ट्रांसफॉर्मर, कंपनी द्वारा, वन विभाग से आवश्यक 33 केवी लाइन का निर्माण हेतु मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने के कारण, भंडार में पड़ा (सितंबर 2021) हुआ था। आगे, केंद्रीय भंडार, हजारीबाग द्वारा कार्यों के लिए जारी (नवंबर 2018 और फरवरी 2019) ₹ 9.58 लाख मूल्य की सामग्री पीएसएस परिसर में बेकार पड़ी थी।

---

[36] *ईएससी, चास: तारानारी, फुदनीडीह और पथुरिया; ईएससी हजारीबाग: तांतिझरिया में; ईएससी चाईबासा: लांडुपाड़ा और ईएससी जमशेदपुर: बलीबांध, निश्चिंतपुर, उपरपवारा और बालीगुमा में में पीएसएस।*

[37] *ईएससी चास: तारानारी, फुदनीडीह और पथुरिया में पीएसएस और ईएससी जमशेदपुर: बलीबांध, निश्चिंतपुर और बालीगुमा में।*

- ईएससी, चाईबासा में लांडुपाड़ा में पीएसएस के निर्माण के लिए ₹ 47.53 लाख की लागत से दो 5 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर क्रय गए और फरवरी 2017 के दौरान साइट पर आपूर्ति किए गए थे। हालाँकि, इन ट्रांसफार्मर का उपयोग, रेलवे लाइन के पार 33 केवी लाइन हेतु 150 मीटर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य नहीं होने के कारण नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी रेलवे से मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही थी। आगे, कार्य के लिए निर्गत ₹ 62.63 लाख मूल्य की सामग्री का भी उपयोग नहीं किया गया था। आगे की जाँच से पता चला कि यह आंशिक रूप से ₹ 42,319 के विलंबित जमा (नवंबर 2019), जिसकी रेलवे द्वारा माँग (नवंबर 2017) की गई थी, के कारण था।

- पीएसएस की 11/33 केवी लाइनों के निर्माण के लिए एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (एसीएसआर) डॉग और वुल्फ कंडक्टर क्रय किये गये (मार्च 2018 और सितंबर 2019) थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 11.33 करोड़ मूल्य के 929.09 किमी एसीएसआर डॉग कंडक्टर और 423.53 किमी एसीएसआर वुल्फ कंडक्टर इन चार ईएससी (मार्च 2021 तक) के केन्द्रीय भंडार में पड़े थे।

- ईएससी, जमशेदपुर में उपरपावरा पीएसएस को जारी की गई सामग्री का विवरण लेखापरीक्षा को माँग करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना-जाँचित केंद्रीय भंडारों ने जारी की गई सामग्री का कार्यवार लेखा-जोखा नहीं रखा जाता था। इसके अलावा, संबंधित प्रबंधकों और कनिष्ठ प्रबंधकों द्वारा साइट पर सामग्री का लेखा जोखा भी नहीं संधारित किया जा रहा था। केंद्रीय भंडारों द्वारा कार्य-वार खातों का लेखा जोखा नहीं संधारित करने, या प्रबंधकों और कनिष्ठ प्रबंधकों द्वारा 'अस्थल पर सामाग्री' के खातों का लेखा नहीं संधारित करने से अन्य कार्यों के लिए सामग्री के विचलन, समान कार्य के लिए सामग्री का अधिक निर्गमन, लंबी अवधि के लिए अनुपयोगी सामग्री की निगरानी के अभाव आदि का जोखिम होता है, क्योंकि कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक देरी हुई थी।

इस प्रकार, कंपनी समय पर आवश्यक सामग्री का क्रय करने और निर्गत सामग्री का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रही, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान पीएसएस के निर्माण से संबंधित कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका और ₹ 17.56 करोड़ की सामग्री बेकार पड़ी हुई थी।

विभाग ने तीन ईएससी (चास, चाईबासा और हजारीबाग) में पीएसएस के निर्माण में देरी को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और बताया कि इन ईएससी में पाँच पीएसएस

में से चार (मई 2022 तक) पूरे हो चुके थे। ईएससी, जमशेदपुर के शेष चार पीएसएस के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.10.2 आर-एपीडीआरपी के कार्य से सम्बन्धित सामग्री का अनुपयोग

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को अनुमोदित (सितंबर 2008) किया। योजनान्तर्गत स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया जाना था। झारखण्ड के 30 शहरों में कार्यक्रम को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने ₹ 1,181.45 करोड़ के डीपीआर को, पाँच साल की अधिकतम अवधि के अन्दर पूरा करने के लिए, मंजूरी दी (सितंबर 2013)।

30 में से 22 शहरों में बार-बार नि.वि.दा. करने के बावजूद कार्य आवंटित नहीं किया जा सका। कंपनी ने अंततः इन 22 शहरों में विभागीय रूप से कार्यों को क्रियान्वित करने का निर्णय (दिसंबर 2015 और अप्रैल 2017) लिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर सामग्री की आवश्यक मात्रा का आकलन, अनुमोदित डीपीआर में निर्धारित मात्रा से भिन्न था। विभागीय निष्पादन के लिए, कंपनी ने डीपीआर या सर्वेक्षण में आकलित आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रीय रूप से सामग्रियों का क्रय किया। हालाँकि, पूर्णता की लक्ष्य तिथि अगस्त 2018 थी, इसलिए कंपनी ने कार्य के दायरे पर रोक लगा दी (दिसंबर 2017)। इसके कारण खरीदी गई सामग्री का उपयोग नहीं हो सका, जैसा कि **तालिका 5.7** में वर्णित है;

तालिका 5.7: आर-एपीडीआरपी में सामग्री के उपयोग नहीं होने का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	डीपीआर के अनुसार मात्रा	सर्वे के अनुसार मात्रा	फ्रीजिंग के अनुसार मात्रा	वास्तविक क्रय की मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	सामग्री की दर (₹ लाख में)	अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
1	एसीएसआर रैबिट कंडक्टर (किमी में)	2,020	1,382	1,529	1,864	335	0.28	93.8
2	एसीएसआर पैंथर कंडक्टर (किमी में)	445	121	85	126	41	4.26	174.66
3	एक्सएलपीई एचटी केबल 33 केवी 3x400 वर्ग मीटर (किमी में)	0	18	2	18	16	16.65	266.40
4	एक्सएलपीई एचटी केबल 11 केवी 3x400 वर्ग मीटर (किमी में)	0	52	19	52	33	12.71	419.43

क्र. सं.	सामग्री का नाम	डीपीआर के अनुसार मात्रा	सर्वे के अनुसार मात्रा	फ्रीजिंग के अनुसार मात्रा	वास्तविक क्रय की मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	सामग्री की दर (₹ लाख में)	अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
5	25 केवी डीटीआर (संख्या में)	194	221	151	201	50	0.49	24.50
6	63 केवी डीटीआर (संख्या में)	398	263	174	263	89	0.81	72.09
7	100 केवी डीटीआर (संख्या में)	726	763	645	763	118	1.03	121.54
	कुल							**1,172.42**

परिणामस्वरूप, जून 2016 से अगस्त 2017 के बीच क्रय की गई, ₹ 11.72 करोड़ की सामग्री का सितंबर 2021 तक चार वर्षों से अधिक समय तक उपयोग नही किया जा सका।

5.10.3 सामग्री का दुरूपयोग

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

- डीडीयूजीजेवाई के तहत, मेसर्स आईएलएंडएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को तीन जिलों यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओऐ) जारी किए गए (मार्च और मई 2017)। कार्य की आवंटित लागत ₹ 624.36 करोड़ थी तथा कार्य को 24 माह के भीतर पूरा किया जाना था। लक्ष्य के अनुसार आवश्यक सामग्री और मानवबल नहीं जुटा पाने के कारण ठेकेदार काम पूरा नहीं कर सका। सामग्री की आपूर्ति सहित ₹ 101.96 करोड़ मूल्य के कार्यों के पूरा होने के बाद जनवरी 2019 में अनुबंध को रद्द कर दिया गया था। शेष कार्यों को आठ पैकेजों में विभाजित किया गया और कार्यों को नौ महीने के भीतर पूरा करने के लिए पाँच ठेकेदारों को दिया गया था (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने अनुबंध की समाप्ति (जनवरी 2019) के आठ महीने के बाद (सितंबर 2019) बर्खास्त ठेकेदार के साथ सामग्री के मिलान और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। मिलान प्रतिवेदन (सितम्बर एवं अक्टूबर 2019) के अनुसार बर्खास्त ठेकेदार से ₹ 58.45 करोड़[38] मूल्य की सामग्री नए ठेकेदारों द्वारा ली जानी थी। हालाँकि, केवल ₹ 28.46 करोड़[39] (49 प्रतिशत) मूल्य की सामग्री नए ठेकेदारों (मार्च 2021 तक) द्वारा उठाई गई थी। ₹ 29.99 करोड़ मूल्य

---

[38] *जमशेदपुर: ₹ 16.32 करोड़, चाईबासा: ₹ 30.51 करोड़ और साहिबगंज ₹ 11.62 करोड़।*

[39] *जमशेदपुर: ₹ 6.76 करोड़, चाईबासा: ₹ 14.60 करोड़ और साहिबगंज: ₹ 7.10 करोड़।*

की शेष सामग्री, बर्खास्तगी की तिथि से दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, बर्खास्त ठेकेदार के पास थी।

आगे, तीन ईएससी में, जहाँ सामग्री नए ठेकेदारों को हस्तांतरित की गई थी, लेखापरीक्षा ने हस्तांतरित सामग्री के उपयोग की जाँच की। यह देखा गया कि ईएससी, साहिबगंज में उठाई गई ₹ 7.10 करोड़ की सामग्री में से ₹ 2.72 करोड़ की सामग्री अधिक पाई (मार्च 2021) गई। ठेकेदार को अभी भी अतिरिक्त सामग्री को कंपनी के भंडार में स्थानांतरित करना है।

इस प्रकार निम्न सामग्री प्रबंधन के कारण ₹ 32.71 करोड़ की सामग्री बिना किसी उद्देश्य के 5 से 25 माह की अवधि तक निजी ठेकेदारों के कब्जे में रही।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि, शुरू में बर्खास्त ठेकेदार (मैसर्स आईएल एंड एफएस) ईएससी चाईबासा में नए ठेकेदारों को सामग्री सौंपने को तैयार नहीं था, क्योंकि मामला न्यायाधीन था। आगे, कार्य पूर्ण करने की अवधि केवल नौ महीने होने के कारण, नए ठेकेदार केवल ₹ 14.60 करोड़ मूल्य की सामग्री का उपयोग कर सके, जिसे बर्खास्त ठेकेदार द्वारा उन्हें हस्तांतरित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कंपनी ने स्वयं बर्खास्त ठेकेदार के साथ अप्रयुक्त सामग्री के मिलान में देरी की, जिसके कारण नए ठेकेदारों को उनकी अनुबंध अवधि के भीतर सामग्री का कम हस्तांतरण हुआ। जवाब में, ईएससी, चाईबासा से संबंधित ₹ 15.91 करोड़ मूल्य की शेष सामग्री, जो दोषी ठेकेदार के कब्जे में थी, की स्थिति के संबंध में मौन था। विभाग ने अन्य दो ईएससी से संबंधित ₹ 14.08 करोड़ मूल्य की सामग्री की स्थिति भी प्रस्तुत नहीं की।

शहरी विद्युतीकरण योजना

- एकीकृत उर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत छः एलओए, 24 महीनों के भीतर काम पूरा करने के लिए, उसी ठेकेदार यानी मैसर्स आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को जारी (जुलाई 2017 और सितंबर 2017 के बीच) किए गए थे, जिसमें सामग्री की आपूर्ति के लिए तीन एलओए शामिल थे। कार्य की खराब प्रगति के कारण, इन ठेकों को भी 21 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति के बाद, रद्द (जनवरी 2019) कर दिया गया। शेष कार्यों को दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच पूरा करने के लिए पाँच ठेकेदारों को आवंटित (मार्च 2019 और जुलाई 2019 के बीच) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 60.24 करोड़[40] मूल्य की अनुपयोगी सामग्री, अनुबंध की समाप्ति के बाद, ठेकेदार के पास पड़ी थी, और फरवरी 2020 में, यानी समाप्ति की तारीख से 12 महीने से अधिक समय के बाद हस्तांतरित की गई थी।

तीन नमूना-जाँचित ईएससी[41] के अभिलेखों की आगे की जाँच, जहाँ ₹ 36.38 करोड़ मूल्य की सामग्री का हस्तांतरण हुआ था, से पता चला कि ₹ 7.37 करोड़[42] मूल्य की हस्तांतरित सामग्री का सितंबर 2021 तक उपयोग नहीं किया गया था। इसमें नए ठेकेदारों को सामग्री के हस्तांतरण में देरी (₹ 1.37 करोड़), कार्य के दायरे में बदलाव (₹ 2.16 करोड़), आवश्यक सहायक उपकरण के बिना सामग्री की आपूर्ति (₹ 1.14 करोड़) सम्मिलित थी। ईएससी, साहिबगंज ने ₹ 2.80 करोड़ मूल्य की अप्रयुक्त सामग्री के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार, ₹ 60.24 करोड़ मूल्य की सामग्री के हस्तांतरण में 12 माह का विलम्ब हुआ। इसके अलावा, तीन नमूना-जाँचित ईएससी में ₹ 7.37 करोड़ मूल्य की सामग्री अभी भी निजी ठेकेदारों (सितंबर 2021 तक) के कब्जे में थी।

संबंधित डीजीएम ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2021 से सितम्बर 2021 के मध्य) कि सामग्री के शीघ्र उपयोग हेतु मुख्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जायेंगे।

- आरएपीडीआरपी-बी योजना के तहत नमूना-जाँचित सात ईएससी में से छः[43] में विद्युतीकरण कार्य विभागीय रूप से क्रियान्वित किए गए थे। कार्यों के लिए, संबंधित ईएससी द्वारा आकलित आवश्यकताओं के आधार पर, एस एंड पी विंग द्वारा सामग्री का क्रय केंद्रीय रूप से किया गया था। केंद्रीय भंडार ने सामग्री प्राप्त की और इसे कार्यों के निष्पादन के लिए विद्युत आपूर्ति उप-मंडल (ईएसएसडी) के प्रबंधकों को जारी किया।

लेखापरीक्षा ने कार्यों, जिन्हें जून 2020 में समाप्त घोषित कर दिया गया था, के लिए निर्गत की गई प्रमुख सामग्री तथा कार्यों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री की मात्रा में अंतर देखा। यह देखा गया कि केंद्रीय भंडार से कार्यों के लिए ₹ 30.81 करोड़ मूल्य के तार, पोल, केबल, मीटर एवं ट्रांसफार्मर जारी किये गये थे, लेकिन क्लोजर

---

[40] *ईएससी चाईबासा: ₹ 11.66 करोड़, धनबाद: ₹ 15.74 करोड़, दुमका: ₹ 8.12 करोड़, जमशेदपुर: ₹ 13.07 करोड़ और साहिबगंज: ₹ 11.65 करोड़।*

[41] *जमशेदपुर, चाईबासा और साहिबगंज में ईएससी।*

[42] *ईएससी चाईबासा: ₹ 1.12 करोड़, जमशेदपुर: ₹ 3.45 करोड़ एवं साहिबगंज: ₹ 2.80 करोड़।*

[43] *हजारीबाग, जमशेदपुर, चास, चाईबासा, कोडरमा और साहिबगंज में ईएससी।*

प्रतिवेदन के अनुसार, केवल 18.74 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री का उपयोग कार्यों में किया गया था। ₹ 12.07 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.4)*** की शेष सामग्री का लेखा-जोखा न तो संबंधित प्रबंधकों द्वारा बनाया गया था और न ही सामग्री को केंद्रीय भंडारों में लौटाया गया था। ईएससी कार्यों की क्लोजर प्रतिवेदन तैयार करने से पहले या आज तक (दिसंबर 2021) अप्रयुक्त सामग्री को पुनर्प्राप्त करने में भी विफल रहे।

इस प्रकार, क्लोजर प्रतिवेदन की तुलना में ईएससी द्वारा निर्गत अतिरिक्त सामग्री की वसूली न होने के कारण ₹ 12.07 करोड़ मूल्य की सामग्री के दुरूपयोग या दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि ईएससी, साहिबगंज में संबंधित अधिकारियों से सामग्री विवरण प्राप्त करना अभी बाकी है। ईएससी, चास में, सामग्री आंशिक रूप से प्राप्त हुई थी, और शेष सामग्री संबंधित अधिकारियों के पास थी। ईएससी, कोडरमा के संबंध में यह बताया गया कि अंतिम भुगतान करने से पहले सामग्री का मिलान कर लिया गया था। ईएससी, कोडरमा के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन योजना क्लोजर प्रतिवेदन, सामग्री विवरणी और भंडार बहीखातों की परस्पर जाँच पर आधारित था, जो अंतिम बिलों के प्रसंस्करण के बाद तैयार/बंद किए गए थे। शेष तीन ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा संख्या 4: कंपनी निजी ठेकेदारों या फील्ड अधिकारियों के पास पड़ी अप्रयुक्त सामग्री की शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर सकती है।